जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

कोटा, शुक्रवार 9 अगस्त, 2024

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM OR VISIT YOUR NEAREST MARUTI SUZUKI DEALERSHIP.

MARUTI SUZUKI AUTHORISED DEALERS: KOTA: BHATIA & COMPANY: CORPORATE OFFICE: 23-24, INDUSTRIAL ESTATE, KOTA: CALL: 7230006839, 9829818018, 9784598109, 9829099081, 9829045729, 9829187004. DAKANIYA: SHOWROOM: G-11-12, AUTOMOBILE ZONE NEAR DAKANIYA STATION: CALL: 9829045729, 9001997116, 9001997113, 9587898054. **SUWALKA MOTORS PVT. LTD.: KUNHARI:** CALL: 0744-2370272, 9116312345, 7300308888. **SULTANPUR:** CALL: 9116178527. **BHAWANIMANDI:** CALL: 9116178557. **KHANPUR:** CALL: 07430-299240, 8306333715. **BHATIA & COMPANY: BARAN ROAD, ANTHA:** CALL: 9001997112. **BUNDI:** CALL: 9799497009. **HINDOLI:** CALL: 9001997142. **NAINWA:** CALL: 9929112923. **BARAN:** CALL: 9799497088. **JHALAWAR:** CALL: 07432-234005, 9929097092. **RAMGANJMANDI:** CALL: 07459-223399, 9928997200. **RAWAT BHATA:** CALL: 9829187004. **CHHABRA:** CALL: 9001997114. **ITAWA:** CALL: 9829818018. **KAPREN:** CALL: 9928354540. **SANGODH:** CALL: 9928907200. **AKLERA:** CALL: 9928318018. **JODHPUR: L.M.J. SERVICES LTD: INDUSTRIAL ESTATE, OPP. UDYOG BHAWAN, NEW POWERHOUSE ROAD:** CALL: 8094011123, 8094011151, 0291- 2630478/79/80. **BALOTRA:** CALL: 8094011142, 8094017705. **BARMER:** CALL: 8094011135, 8094017719. **SHEO:** CALL: 8094011135. **BILARA:** CALL: 8094019882. **BHOPALGARH:** CALL: 8094009857, 8094011128. **JAISALMER:** CALL: 02992-203222, 8094011137. **OSIAN:** CALL: 8094019882. **PIPAR:** CALL: 8094019893, 8094011128. **POKHRAN:** CALL: 8094002631. **SIWANA:** CALL: 8094017705. **LUNI:** CALL: 8094017715. **BAYTU:** CALL: 8094011135. **GUDAMALANI:** CALL: 8094011135. **CHANDAN:** CALL: 8094011137. **SUMERPUR:** 8094017723, 8094011136. **FALNA:** 8094002640. **SOJAT:** 8094017722. **MARWAR JUNCTION:** 8094002640. **RAIPUR:** 8094017722. **TIWARI:** CALL: 8094019882. **ASOP:** CALL: 8094011128. **JAITARAN:** CALL: 8094010933. **AURIC MOTORS PVT LIMITED: SARSWATI NAGAR, NEW PALI ROAD:** CALL: 9015900500. **BALESAR:** CALL: 9015900500. **BORUNDA:** CALL: 9015900500. **BAORI:** CALL: 9015900500. **AHORE:** CALL: 9015900500. **SAYLA:** CALL: 9015900500. **SHRI KRISHNA AUTO SALES PVT. LTD.: PRATAP NAGAR:** CALL: 291 2762064/65 9929244412, 9929244403. **JALORE:** CALL: 9116137669, 9929244436. **BHINMAL:** CALL: 9680059999. **SANCHORE:** CALL: 9928568669. **RANIWARA:** CALL: 7340061247. **PHALODI:** CALL: 9929244412, 9119180984. **NAGAUR: MANGALAM MOTORS: NAGAUR:** CALL: 9116008626, 9116008630. **KUCHMAN CITY:** CALL: 9649518518. **DIDWANA:** CALL: 7231912912. **MAKRANA:** CALL: 7231913913. **LADNU:** CALL: 7230055912. **MERTA:** CALL: 7230055965. **DEGANA:** CALL: 9116009562. **PARBATSAR:** 7230055941. **PALI: L.M.J. SERVICES LTD.: PALI:** CALL: 02932 - 256177, 8094011136. **SUMERPUR:** CALL: 8094017723, 8094011136. **FALNA:** CALL: 8094010932. **JAITARAN:** CALL: 8094010933. **SOJAT:** CALL: 8094017722. **MARWAR JUNCTION:** CALL: 8094017701. **RAIPUR:** CALL: 8094017722. **AURIC MOTORS PVT LIMITED: AHORE:** CALL: 9015900500. **SAYLA:** CALL: 9015900500. **SHRI KRISHNA AUTO SALES PVT. LTD.: JALORE:** CALL: 9929244436, 9116137669. **BHINMAL:** CALL: 9680059999, 9929244436. **SANCHORE:** CALL: 9929244436, 9928568669. **RANIWARA:** CALL: 7340061247, 9929244436. **TECHNOY MOTORS: REVDAR:** CALL: 9116653762. **JAWAL:** CALL: 9530396910. **R- OUTLET: JAWAL:** CALL: 9530396910. **NAVNEET MOTORS: SIROHI:** CALL: 02972-222917/ 18, 7665010638. **ABUROAD:** CALL: 02974-220090, 7665016624. **UDAIPUR: TECHNOY MOTORS: GOVARDHAN VILLAS:** 9982666809. **FATEHNAGAR:** CALL: 9530396817. **SAGWARA:** CALL: 02966-254767, 9982667899. **BHINDER:** CALL: 9530396848. **REVDAR:** CALL: 9024361043. **KHERWARA:** 9773378410. **JHADOL:** 9773379023. **SABLA:** 9724135470, 9773361078. **JAWAL:** 9530396910. **R- OUTLET: GOGUNDA:** CALL: 9983176396. **NAVNEET MOTORS: MADRI:** CALL: 0294-2494454, 9828059107. **SHOBHAGPURA:** CALL: 9829043600. **SIROHI:** CALL: 02972-222917/18, 7665010162. **ABUROAD:** CALL: 7230046383, 7665016624. **DUNGARPUR:** CALL: 7665001684. **SALUMBER:** CALL: 7665010649. **PINDWARA:** CALL: 7230019850. **SHEOGANJ:** CALL: 8387079113. **SIMALWARA:** CALL: 8769599339. **BHATIA & COMPANY: PRATAPGARH:** 01478- 220999, 9672685999. **BANSWARA: NAVNEET MOTORS: BANSWARA:** CALL: 9414159145, 7665010625, 7665010628. **DUNGARPUR:** CALL: 7665001684. **PARTAPUR:** CALL: 7665010627, 9414159145. **TECHNOY MOTORS: SAGWARA:** CALL: 9982667899. **SABLA:** CALL: 9724135470, 9773361078. **R- OUTLET: SABLA:** CALL: 9724135470, 9773361078. **BHILWARA: BHATIA AND COMPANY: CHITTORGARH:** CALL: 9414130799, 9001791753, 9587208999, 9414179006, 9413316117. **NIMBAHERA:** CALL: 9772378667, 9413316799. **PRATAPGARH:** CALL: 9116665219, 9672683999. **BEGUN:** CALL: 9116652801, 9413316299. **MANGALWAD:** CALL: 9414038599. **CHAMPION CARS: BHILWARA:** CALL: 01482-267135, 9602892423, 7727863720. **MANDALGARH:** CALL: 9602892417. **ASIND:** CALL: 9602892432. **BHARATPUR: TM MOTORS: BHARATPUR:** CALL: 05644-220970, 226392, 9251423393, 9251423395, 8094000626. **DHOLPUR:** CALL: 8094777002, 8094519222. **NAGAR:** CALL: 8094777876, 8094000622.

*Terms and conditions apply. Offer valid for select models/ variants and in select states only. Accessories and features shown may not be part of standard equipment and may vary from variant to variant. Images used are for illustration purpose only. Appearance of black shade on glass is due to lighting effect. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw the offers at any point in time without any advance notice.

विचार बिन्दु

अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। –महाभारत

Justice Delayed is Justice Denied

(न्याय में विलम्ब, न्याय नहीं मिलने के समान है)

संविधान लागू होने के बाद से न्याय व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भ में कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया था; किन्तु बाद में इसे कोर्ट ऑफ लॉ कहा गया है।

संविधान के प्रियम्बल में यह घोषणा की गई है, कि देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्ति का अधिकार है और वह नागरिक का मूल अधिकार है साथ ही राज्य का कर्त्तव्य है कि न्याय सबको प्राप्त हो। न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित हो। विलम्ब से दिया गया न्याय, न्याय नहीं मिलने जैसा है। अनुच्छेद 21 हमें गरिमा मय जीने का अधिकार देता है। त्वरित न्याय प्राप्त करना व्यक्ति का मूल अधिकार है।

देश के सभी न्यायालय में लाखों मुकदमें निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। लोग न्याय की प्रतीक्षा में घुट-घुट कर मर रहे हैं। जेल भीड़ से भरे हैं न तो पर्याप्त न्यायालय हैं और न न्यायाधीश। न्यायालय व सरकार विलम्ब के दोषी हैं, मुक्ति की कोई राह नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50 Constitution Bench के केसेज संवैधानिक विषयों के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। हाँ, यह भी सच है 1994 से अभी तक 2192 केसों का निस्तारण हो चुका है।

कानून है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के विरूद्ध हाईकोर्ट में रिट् याचिका नहीं होगी। हाईकोर्ट का अपना ही फैसला है कि रिट नहीं होगी, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन कर वही हाईकोर्ट रिट याचिका में स्टे देता है। कई मामले इस विषय के बाबत सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है, किन्तु निर्णित नहीं होते और अनियमितता के केस बढ़ रहे हैं। जबकि त्वरित न्याय की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने क्रिमिनल अपील नं. 812 में छत्तीसगढ हाईकोर्ट के विरूद्ध एक तीखी टिप्पणी की थी। आरोपी अपराध के लिये जेल में 9 वर्ष रहा जो इसने किया ही नहीं था। केस में कोई शहादत नहीं थी केवल Last Seen की थ्योरी पर सजा दी गई है वह भी यह कह कर कि Last Seen की थ्योरी से जो Presumption कानून मानता है, अपराधी उसे Rebut नहीं कर पाया है। केस में PW 1 की शहादत थी कि मृतक की मृत्यु 5 PM को घर में हुई थी व अपराधी घर ही 7 PM को आया था। मृतक अपराधी की पत्नी थी। इस प्रकार Presumption को Discharge करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केस में दो गवाह थे वे दोनों की Hostile घोषित किये गये। कोर्ट ने कहा कि इस शहादत का सर्वथा अभाव है कि मृतक व अपराधी दोनों 5 बजे शाम को साथ-साथ थे। माननीय न्यायालय ने माना न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑका ने यह भी टिप्पणी की कि स्टेट Acquital के विरूद्ध अपील फाईल कर देती है और इस कारण भी केस के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पत्र The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार ट्रायल कोर्ट द्वार जमानत देने के सम्बन्ध में था। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safer by Not Granting Bail माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ ने कहा कि धीरे-धीरे संवैधानिक मूल्यों का तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यांकन घटता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 सालों में केसेज की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों से बढ़कर 46.8 लाख हो गये हैं। हाई कोर्टस् में 2019 से 2023 तक यह Pendency 48.6 लाख से 62 लाख बढ़ गई है। नीचे की अदालतों में यह Pendency 4.4 करोड़ है। कानून मंत्री मेघवाल ने ये आंकडे संसद में दिये हैं। इसके कारण भी बताये हैं। इन आंकडों से अंदाज लगाया जा सकता है कि न्यायालय विलम्ब के बोझ से दबे हुये हैं। इसका अर्थ है जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। यों भी न्याय बहुत मंहगा है और विलम्ब तो इतना भी है कि पीढ़ी खत्म होने पर भी न्याय नहीं मिलता।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुर्प्रीम कोर्ट आर एम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली के दिनांक 04.08.2024 के समारोह में बढ़ती संख्या के कारण त्वरित न्याय नहीं मिलने पर सलाह दी कि न्यायालय के द्वार 365 दिन खुलने चाहिये। विचार क्रान्तिकारी है। जब जलदाय विभाग और अस्पताल 365 दिन काम करते हैं तो न्याय का द्वार 24 घंटे खुला ही रहना चाहिये। तीन नये कानून देश में लागू किये गये हैं। ये हैं– सीआरपीसी, आईपीसी व एवीडेन्स एक्ट के नये रूप। इनमें भी विलम्ब के कोई सकारात्मक उपाय नहीं बताये गये हैं।

लेखक का अपना मत है प्रत्येक हाईकोर्ट को अपना स्वंय का Jurisprudence बनाना होगा। जमानत के मामलों में सीजेआई के स्पष्ट विचार उपरोक्त चरण में दिये गये हैं। जमानत देना व न देना कानून संचालित करता है; किन्तु सर्वपरी है मजिस्ट्रेट व जज का अपना विवेक । कुछ समय पूर्व Liberty में यह संशोधन हुआ था कि 7 वर्ष की सजा तक के केसेज में साधारण रूप से जमानत ली जा सकती है किन्तु लागू नहीं हुआ। सर्वमान सिद्धान्त है कि आरोपी को निर्दोष माना जावे और उसे स्वीकार किया जावे कि संविधान उसे Cr.PC का अधिकार देता है। यदि मजिस्ट्रेट व जज का विवेक सही है तो अपील कोर्ट का आदेश भी उसे निरस्त नहीं कर सकता। वर्तमान में जमानत के प्रावधान (Non bailable Offences esa) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 में दिये गये हैं। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में यह शंका है कि उसने Non bailable Offence किया है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता, किन्तु यदि उसके विरूद्ध यदि अपराध का आरोप ऐसा है, जिसमें सजा आजन्म कारावास अथवा मृत्यु है तो उसे जमानत नहीं दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यदि परिस्थितियों उपधारा (ii) धारा 480 की है तो उसे जमानत नहीं दी जावेगी।

> **हम डिजीटल युग में रह रहे हैं अतः गवाहों आरोपियों की तलबी में उसका प्रयोग होना चाहिये। क्रॉस एग्जामिनेशन में थोडा कठोर भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। कोर्ट में बार व बैंच का सम्बन्ध मधुर, सौहार्द्रपूर्ण हो तो काम सुलभ होगा। हाईकोर्ट में समय बहुत नष्ट होता है। कोर्ट के दो घंटे तो सर्विस, आदेश, आदि में समाप्त हो जाते हैं।**

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व सीजेआई की सलाह जिसका ऊपर उल्लेख किया है साथ ही व्यक्ति को Liberty का संवैधानिक अधिकार है, ऐसी स्थिति में जमानत लिया जाने के पक्ष में मजिस्ट्रेट का विवेक काम में आना चाहिये। जमानत लिये जाने से ट्रायल भी शीघ्र पूरी होगी। मजिस्ट्रेट को जमानत के बाद उचित शर्ते लगाने और साथ ही जमानत निरस्त करने का अधिकार भी है। इस प्रक्रिया से जेलों पर जो भार बढ़ा हुआ है वह भी कम होगा और जेलों की व्यवस्था भी सुधरेगी। माननीय सीजेआई के अनुसार हाईकोर्ट का कर्त्तव्य है कि वे स्वंय जमानत के प्रावधानों की निर्भिकता से पालना करें और अधीनस्थ न्यायालयों में विश्वास का साहस भरें।

प्रत्येक कोर्ट को अपना प्रोसीजर कानून के दायरे में बनाना चाहिये। गवाहों के बुलाने और तारीख बदलने का काम अपने विवेक से चलाना चाहिये। मजिस्ट्रेट जमानत का काम एक घंटे में निपटा सकता है। फाईल पढ़कर आवे और जमानत का केस है तो मजिस्ट्रेट बिना सुने जमानत का आदेश पारित कर सकते हैं। जमानत के आदेश को तत्काल सुनाना चाहिये, उसको स्थगित करना उचित नहीं है।

हम डिजीटल युग में रह रहे हैं अत: गवाहों आरोपियों की तलबी में उसका प्रयोग होना चाहिये। क्रॉस एग्जामिनेशन में थोडा कठोर भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। कोर्ट में बार व बैंच का सम्बन्ध मधुर, सौहार्द्रपूर्ण हो तो काम सुलभ होगा।

हाईकोर्ट में समय बहुत नष्ट होता है। कोर्ट के दो घंटे तो सर्विस, आदेश, आदि में समाप्त हो जाते हैं। सर्विस व प्लीडिंग्स का कार्य Judicial Registrar को सौंप देना चाहिये। जिन केसेज में स्टे की मांग है जैसे रिटों के मामलों में, उनमें अधिकांश में Final Disposal का नोटिस भेजा जाना चाहिये ताकि Admission की स्टेज पर है केस निर्णित हो सके। प्रथम अपील को As of Right के आधार पर Admit करना चाहिये। Possession (कब्जे) का जहां तक प्रश्न है उसके समयबद्ध स्थगन आदेश दिया जाना चाहिये और फिर अपील का निर्णय। प्रत्येक केस में यह जानकारी फरीकों से पूछी जानी चाहिये कि क्या हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का कोई केस इस पर लागू है उसके आधार पर (प्रसीडेन्ट के मानकर) केस का Disposal किया जा सकता है।

एक्सीडेन्ट क्लेम व कन्जूमर फॉरम के केसों में कम या ज्यादा मुआवजा कर केसों का निपटारा करना चाहिये। जहां तक संभव हो लोक अदालत की भावना से भी केस निर्णित किया जा सकता है।

अपील केसों में फैसले में केवल आवश्यक तथ्यों को ही लिया जावे। प्ले को सीमित किया जावे। जहां अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) का प्रश्न है, उसे पहले निर्णित किया जावे किन्तु विकल्प में गुणदोष के आधार पर भी फैसला दिया जावे ताकि Remand पर विलम्ब से बचा जावे।

रिट ज्यूरिस्डीकशनल मामलों में कोर्ट बहस के लिये समय सीमा की बन्दिश लगा सकती है और दोनों पक्षों से यदि वे चाहें तो लिखित बहस देने का आदेश भी दे सकती है। निर्णय के लिये यदि अपने ही हाईकोर्ट का निर्णय है, अथवा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो तो अन्य नजीरों को फैसले में शामिल कर निर्णय को बोझिल न बनायें।

प्रयत्न करना चाहिये कि एक ही श्रेणी के केसों को शीघ्र से शीघ्र निपटारा किया जावे। उदाहरण के तौर पर टैक्स के मामले हैं। टैक्स के केसों में दो प्रकार के स्टे नहीं होने चाहिये। जैसे एक केस में टैक्स की पूरी रिकवरी पर रोक लगाई है और दूसरे केस में 50 प्रतिशत टैक्स जमा कराई जाने का आदेश हो।

पुराने पेन्डिंग केसों को सप्ताह के एक दिन लगाये जावें। इससे पूर्व रजिस्ट्री को पेन्डिंग केसों का Clasification कराया जावे। कई केसेज ऐसे मिलेंगे, जिनका अभिप्राय ही समाप्त हो चुका है। फौजदारी केसों में अधिकांश केसों को Already Undergone सजा के आधार पर निर्णित किया जा सकता है। कई केस ऐसे मिलेंगे, जो वस्तुतः सिविल नेचर के हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के केसों को 420 IPC या जालसाजी का केस बनाया गया है। उसका निस्तारण किया जा सकता है। सन् 1966 का एक Covenent nw International Covenent on Civil and Political Rights, 1966 जिसमें निर्देश दिया है कि Civil Liability के कारण व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता। (Article 16: No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation) का भाग है और कोर्ट में Enforceable है।

हाईकोर्ट का Writ Jurisdiction, Extraordinary Jurisdiction कहा जाता है, क्योंकि Ordinary Jurisdiction सिविल कोर्ट का है। प्राय: यह देखने में आया है कि हाईकोर्ट की कई बैंचे हाईकोर्ट के अनुच्छेद 226 व 227 में सही भेद नहीं कर रही है। हाईकोर्ट का अनुच्छेद 227 के तहत् जो अधिकार क्षेत्र है वह रिव्यू जैसा है। अनुच्छेद 227 स्पष्ट कहता है कि हाईकोर्ट को इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अधीक्षण का अधिकार है और वह उन कोर्टस् व ट्रिव्यूनलस् पर है जो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

जिन केसेज पर सुप्रीम कोर्ट की नजीर सीधी लागू होती है, उसे केवल एक या दो पैरा के आदेश से निर्णित किया जा सकता है।

यहाँ लेखक ने कुछ सिद्धान्तों का ही उल्लेख किया है। ऐसे कई उपाय हैं, जिनसे केसेज की पेन्डेन्सी को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है और जनता को त्वरित न्याय दिलाया जा सकता है।

न्याय सबको सस्ता, सुलभ व त्वरित प्राप्त हो।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सलाम- विनेश फोगाट!

राजेन्द्र भाणावत

आप शीर्षक पढ़कर चौंकिए मत। आप सोच रहे होंगे कि उस विनेश फोगाट को सलाम क्यों किया जा रहा है जिसे वजन अधिक वजन होने के कारण ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह सही है, किंतु यह भी सही है कि इसी विनेश फोगाट ने 6 अगस्त 2024 को भारतीय कुश्ती में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया था। विनेश ने 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में पहली बार भाग लेते हुए गत ओलंपिक चैंपियन और 82 कुश्तियों से अजेय जापान की पहलवान सासुकी को परास्त किया था। इसी विनेश फोगाट ने उसी दिन क्वार्टर फाइनल एवं सेमीफाइनल में दो और मजबूत पहलवानों को हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया था। इसी विनेश फोगाट ने पहली महिला भारतीय पहलवान होने का गौरव प्राप्त किया जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया। अगले दिन, अर्थात 7 अगस्त को सायं उसका मुकाबला अमेरिका की पहलवान फ़िल्डब्रांट से होने वाला था। प्रात: काल जब उसका वजन लिया गया तो वह 50 किलो से 100 ग्राम अधिक निकला। फलस्वरूप उसे पूरी प्रतियोगिता के लिए ही अयोग्य घोषित कर दिया।

कहा जाता है कि पूरी रात, विनेश ने जाग कर विभिन्न प्रकार की कसरत करके, अपने स्टाफ की देखरेख में अपना वजन लगभग 2.7 किलो घटाकर 50 किलो से कम करने का पूरा प्रयास किया। जब औपचारिक रूप से इसका वजन 7 अगस्त को प्रात: लिया गया तो वह 100 ग्राम अधिक निकला। ओलंपिक नियमों के अनुसार उसे पूरी प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उसके द्वारा जीती हुई तीन कुश्तियां भी बेकार हो गई। इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध और दु:खी कर दिया। यह नियम विचित्र है, क्योंकि जिन तीन कुश्तियां को उसने जीता वह नियमानुसार बिल्कुल सही थी और यदि फाइनल से पूर्व अयोग्य भी होती, तो उसे फाइनल खेलने से वंचित करके रजत पदक का हकदार माना जा सकता था। यह बात तो नियमों की हुई। अब सीएएस के यहां अपील कर दी गई है, उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि क्या विनेश को रजत पदक दिया जाएगा या नहीं? संभावना तो यही है कि उसे किसी प्रकार का कोई पदक नहीं मिलेगा।

भले ही, विनेश ने ओलंपिक पदक गवां दिया हो, किंतु वह एक जुझारू भारतीय महिला का चेहरा बनकर उभरी है। यह वही विनेश फोगाट है, जिसने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के विरुद्ध महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाकर, साथी पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ दिल्ली की सड़कों पर 2023 में आंदोलन किया था। यह वही विनेश फोगाट है जिसे धरने से उठाने के लिए पुलिस द्वारा सड़कों पर घसीटा गया और उनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई। यह वही विनेश फोगाट है जिसे बृजभूषण शरण सिंह ने चुका हुआ कारतूस और खोटा सिक्का कहा था और यह भी कहा कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगा। ये सब दृश्य आज भी कमरे में कैद हैं। यदि और कोई महिला होती और वह विनेश फोगाट नहीं होती, तो कभी की टूट चुकी होती और सन्यास ले चुकी होती। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने तो थक-हार कर प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी। दुखद आश्चर्य की बात है कि जब भारत के गौरव ये पहलवान, बृजभूषण सिंह के विरुद्ध आंदोलनरत थे तो प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस बारे में कुछ नहीं बोला, इन्हें मिलने के लिए बुलाना तो दूर की बात है। विनेश फोगाट कुछ सालों से 53 किलो ग्राम कुश्ती वर्ग में खेल रही थी किन्तु ओलंपिक में उसे 50 किलो ग्राम वर्ग में भेजा गया। इस हेतु उसे कई किलो वजन कम करना पड़ा। नई श्रेणी में प्रवेश के कारण उसे कोई सीडिंग नहीं मिली और उसका मुकाबला पहले ही राउंड में ओलंपिक विजेता पहलवान जापान की सासुकी से हुआ। इसके बावजूद सबको अचंभित करते हुए विनेश ने अपने दम पर जापान के पहलवान को 10 वर्षों में पहली बार हराया।

शायद, विनेश के फाइनल में प्रवेश से सत्ताधारी दल और सरकार बहुत प्रसन्न नहीं थे। अन्यथा, पहली बार भारतीय महिला पहलवान के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने पर प्रधानमंत्री द्वारा उसे बधाई और शुभकामना संदेश देने के लिए 6 अगस्त को कोई ट्वीट या फोन अवश्य किया जाता जैसा कि वे सामान्यतया करते रहे हैं। 7 अगस्त को, जब विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो प्रधानमंत्री ने उसके कसीदे पढ़े और उसे 'चैंपियनों का चैंपियन' बताया। यह बात भी आसानी से गले नहीं उतरती कि, क्या विनेश फोगाट, जो 2 किलो से अधिक वजन कम कर सकी, वह 100 ग्राम वजन और कम नहीं कर सकती थी? यह प्रश्न भी अभी तक अनुत्तरित है कि उसका वजन ढाई किलो कैसे बढ़ गया? क्या उसके स्टाफ ने उसकी डाइट पर कोई निगरानी नहीं रखी, यह जानते हुए भी कि अगले दिन उसे फिर कुश्ती लड़नी पड़ेगी एवं उसके लिए सुबह फिर उसका वजन होगा? पहलवान तो केवल कुश्ती लड़ सकता है, उसके लिए डाइट, कसरत से वजन, निर्धारित सीमा में रखने की जिम्मेदारी उसके कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर आदि की ही थी। आशंका यह है कि क्या यह सब यही चाहते थे कि विनेश को सबक सिखाया जाए ताकि जिस लड़की ने सिस्टम को चुनौती दी, वह सिस्टम से कहीं जीत न जाए? यही हुआ और उसके पूरे जुझारूपन के बावजूद सिस्टम उस पर हावी हो गया और अधिक वजन के कारण उसे अयोग्यता का शिकार होना पड़ा। अब जबकि विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वह भारतीय महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। उसे ओलंपिक पदक भले ही न मिला हो, किंतु आज वह सब भारतीयों के दिलों पर राज कर रही है। विनेश फोगाट ने ऐसे समाज में सिस्टम को चुनौती दी, जहां लड़कियों को केवल पुरुषों का आज्ञाकारी बनाया जाता है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रश्न करें एवं संघर्ष करें। इन सारी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हुए विनेश ने संघर्ष का रास्ता चुना और सभी प्रतिरोधों का मुकाबला करते हुए भी पुन: उठ खड़ी हुई। सिस्टम के कारण उसे पदक न मिला हो, किंतु उसके अयोग्य घोषित होने पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनका उत्तर तो भारतवासी पूरे कुश्ती तंत्र से मांग ही रहे हैं। इनका उत्तर, आज नहीं तो कल, उन्हें देना ही होगा कि कैसे उनकी अक्षमता और उदासीनता के कारण एक सर्वकालिक महान भारतीय महिला पहलवान को ओलंपिक के स्वर्ण अथवा रजत पदक से वंचित रहना पड़ा? किसी भी विशेषज्ञ ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा कि विनेश को क्या डाइट दी जा रही है एवं उससे किस प्रकार उसका वजन बढ़ेगा? औपचारिक रूप से वजन के लिए जाने से पूर्व भी तो भारतीय दल ने विनेश का वजन कई बार लिया ही होगा। यह बात गलत नहीं उतरती है कि 2 किलो वजन कम किया जा सकता है, तो 100 ग्राम और कम क्यों नहीं किया जा सका?

अंत में हम यही कहेंगे कि विनेश, आपने भारतीय महिलाओं के लिए वह कर दिखाया है जो शायद ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी नहीं कर पाता। आपने उन्हें संघर्ष की राह दिखाई है, सवाल करने का हौसला दिया है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आपको परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए आपको सलाम करने का मन करता है। सलाम, विनेश।

–राजेन्द्र भाणावत,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

बजट 2024 में रोजगार सृजन के सार्थक प्रयास

देश के सतत विकास के लिए युवा शक्ति की क्षमता का पूरी तरह दोहन करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से रोजगार सृजन लंबे समय से भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से कई रणनीतिक उपायों की रूपरेखा दी गई है। ये पहल एक बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जो तत्काल रोजगार सृजन और दीर्घकालिक कार्यबल विकास दोनों ही समस्याओं का निराकरण करती हैं। इस लेख में हम बजट में रोजगार सृजन के लिए किए गए उपायों और उनके प्रभाव की व्याख्या करेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का विस्तार: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की आधारशिला रहा है। बजट 2024 में, सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आवंटन के साथ पीएमईजीपी कार्यक्रम का काफी विस्तार किया है। इस विस्तार का उद्देश्य नए और मौजूदा एमएसएमई को बेहतर वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बढ़ाया गया पीएमईजीपी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लक्षित करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि रोजगार सृजन समावेशी हो। युवा और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ऋण पर कम ब्याज दरें और व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देकर, सरकार को आने वाले वित्तीय वर्ष में कई लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल: रोजगार क्षमता बढ़ाने में कौशल विकास के महत्व को पहचानते हुए, बजट 2024 में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहण में सुधार के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए हैं।

बजट में निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार उद्योग-विशिष्ट प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है जो बाजार की मांग के अनुरूप हों, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटा जा सके।

स्टार्ट-अप और नवाचार के लिए समर्थन: स्टार्ट-अप रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। बजट 2024 में, सरकार ने कर प्रोत्साहन और नियमों का सरलीकरण करके स्टार्ट-अप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक नई पहल की है। बजट में स्टार्ट-अप के लिए कर लाभों के तीन साल के विस्तार के साथ-साथ पंजीकरण और वित्तपोषण के लिए एक सरल आवेदन प्रक्रिया का प्रस्ताव है। सरकार ने विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए एक नए 5,000 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है। यह फंड उन नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए उद्यम पूंजी समर्थन और अनुदान निधि प्रदान करेगा जिनमें महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता है।

बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं: बुनियादी ढांचे के विकास का रोजगार पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। बजट 2024 में सड़क निर्माण, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी पहलों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन से निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और संबंधित उद्योगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सरकार उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है जो क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे रोजगार में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकेगा। राजमार्गों और रेलवे जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश से बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने और रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना: भारत में रोजगार के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर है। बजट 2024 में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के उपाय पेश किए गए हैं। सरकार ने कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एकीकरण और टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

बजट में कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेटरों की स्थापना और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों के लिए समर्थन के प्रावधान भी शामिल हैं। ये पहल कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि उत्पादों का मूल्य जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे किसानों की आय और रोजगार की संभावनाओं में सुधार होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार और सुधार: सरकार ने दक्षता और रोजगार सृजन में सुधार के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों की भी घोषणा की है। बजट 2024 में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की योजना शामिल है।

-राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान से सैम्पल लिए

मिठाई विक्रेता द्वारा एक ग्राहक को पुराना रखा घेवर बेच दिए जाने और ग्राहक द्वारा उसे उपयोग लेने के दौरान मरे हुए मकोड़े मिले थे

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के इंदिरा मार्केट स्थित एक मिठाई विक्रेता द्वारा एक ग्राहक को पुराना रखा घेवर बेच दिए जाने और उसे उपयोग लेने के दौरान मरे हुए मकोड़े पाए जाने पर ग्राहक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत की गई। इस पर अधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से लिया जाकर दिखाई जाने की बात कही, लेकिन मिठाई विक्रेता पर किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस पर ग्राहक ने तत्काल एक लिखित शिकायत जिला कलेक्टर को दी। इसके बाद हरकत में आए विभाग के जिम्मेदारों ने देर शाम को उक्त दुकान से मिठाईयों के सैम्पल लिए।

जानकारी के अनुसार तिलकनगर निवासी ग्राहक राजेश जीनगर ने इन्द्रा मार्केट स्थित ब्यावर वाले के यहां 270 रूपए देकर घेवर लिया। जिसे घर पर खाने के दौरान सर्व करने पर मरे हुए मकोड़े पाए गए। इस बात की शिकायत दूरभाष पर सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी को दी गई, जिस पर सीएमएचओ गोस्वामी ने उक्त मिठाई विक्रेता पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन दोपहर तक भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से ग्राहक द्वारा जिला कलेक्टर नमित मेहता को लिखित शिकायत देकर घटनाक्रम से अवगत करवाया गया और शिकायत पत्र में सीएमएचओ द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेने की बात भी कही गई। इसके बाद हरकत में आए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने दुकान पर पहुंचकर जांच के हेतु सैम्पल लिए।

राशिफल शुक्रवार 9 अगस्त, 2024

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:34 तक, शिवयोग दिन 12:29 तक, वणिज करण दिन 11:21 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

रवियोग रात्रि 2:44 तक है। आज वरद विनायक चतुर्थी, दुर्वा गणपति व्रत है और श्रवण तपस्या आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:37 तक, चर 10:54 से 12:32 तक, लाभ-अमृत 12:32 से 3:49 तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:59, सूर्यास्त 7:05

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
आर्थिक/वित्तिय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा।

कन्या
परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
घर-परिवार में कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 49 संख्याः 297 प्रभात कोटा, शुक्रवार 9 अगस्त, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हराकर भारत के लिए चौथा ब्रॉन्ज़ मैडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराया है। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुये स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है। पहले क्वॉर्टर के दौरान भारत ने नौ बार आक्रामक तरीके से स्पेन के सर्कल में प्रवेश किया लेकिन गोल करने में सफल नहीं हुये। इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रामक शुरुआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले पैनल्टी स्ट्रोक का फायदा उठाते हुए 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पैनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मुकाबले में 1-1 से बराबरी कर ली। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी और भारत ने अंत तक इस बढ़त को कायम रखकर यह मुकाबला जीत लिया। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में यह भारत का चौथा कांस्य पदक है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलंपिक पदक है। म्यूनिख ओलंपिक 1972 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते हैं। ओलंपिक में मिली इस जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पी.आर श्रीजेश ने संन्यास ले लिया। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजलिस 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हैलसिंकी 1952 में स्वर्ण, मैलबर्न 1956 में स्वर्ण, रोम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मेक्सिको सिटी 1968 में कांस्य, म्यूनिख 1972 में कांस्य, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कांस्य और पेरिस 2024 में कांस्य जीता है।

सरकार अचानक वक्फ बोर्ड विधेयक को जे.पी.सी. को भेजने को तैयार क्यों हो गई?

कांग्रेस का कहना है, सरकार को मालूम था कि जे.पी.सी. का अध्यक्ष तो उसका सांसद ही बनेगा, जबकि सलैक्ट कमेटी का अध्यक्ष एन.डी.ए. का ही सांसद हो ऐसा जरूरी नहीं है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अगस्त। 'वक्फ अमेंडमेंट बिल', लोकसभा में पेश होने के बाद, विपक्षी दलों के भारी विरोध वे कारण, एक संयुक्त संसदीय समिति (जॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी-जे.पी.सी.) को सौंप दिया गया है। ज्ञातव्य है कि तेलगुदेशम पार्टी (टी.डी.पी.) सांसद हरीश बालयोगी ने कहा था कि उनकी पार्टी वक्फ़ बोर्ड का समर्थन तो करती है लेकिन बेहतर यह होगा कि इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श हो तथा इसलिये इसे किसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

इस पर, अल्पसंख्यक मामलात के केन्द्रीय मन्त्री किरन रिजिजू ने प्रस्तावित किया कि सरकार इसे जे.पी.सी. को सौंपने के लिये तैयार है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार से पुनः पूछा कि क्या सरकार इसे जे.पी.सी. के पास भेजना चाहती है तो सरकार ने कहा कि हाँ, वह इस विधेयक को जे.पी.सी. के पास भेजने के लिये तैयार है।

समझा जाता है कि कल बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में कांग्रेस ने कहा था कि यह विधेयक स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) के पास भेज दिया जाये। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि जे.पी.सी. के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने इस विषय में विपक्ष से विचार-विमर्श नहीं किया।

उल्लेखनीय है कि जे.पी.सी. सरकार के अनुकूल होती है क्योंकि इसके चेयरमैन उसके ही होते हैं तथा कमेटी में बहुमत भी सत्तापक्ष का होता है। इस बात की कोई गारन्टी नहीं होती कि किसी स्थाई समिति या प्रवर समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के ही हों।

सूत्रों का कहना है कि इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हैं तथा ये चुनाव भाजपा के मुख्य निशाने पर हैं।

विपक्ष ने इस संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध किया है, जैसे- कलैक्टर को मध्यस्थता का अधिकार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **कांग्रेस के अनुसार, कल बुधवार को बिजनैस एडवाइज़री कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करने वाला विधेयक सदन में पेश करने से पहले सलैक्ट कमेटी में प्रस्तुत करना चाहिये।**
- **पर, अचानक बिना कुछ बातचीत हुए, सरकार जे.पी.सी. के गठन का प्रस्ताव लायी।**
- **कांग्रेस के अनुसार, अब आम चर्चा में यह सवाल है कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का प्रस्ताव क्यों लायी है, क्या सरकार की निगाह वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर है या सरकार कुछ चहेते व्यक्तियों की अनुगृहित करना चाहती है। उदाहरण के लिये मुकेश अंबानी का बहुचर्चित मकान, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है।**

चंद्रबाबू नायडू के अमित शाह को किये गये फोन के बाद, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश होने से रूका

शायद पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किसी विधेयक को पेश करने का मन बना लेने के बाद पीछे हटी है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8अगस्त। घटनाक्रम में आये एक अप्रत्याशित मोड़ के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार ने 'वक़्फ़ अमेंडमेंड बिल' एक संयुक्त संसदीय कमेटी को सौंप दिया। ज्ञातव्य है कि विपक्ष ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया था तथा एन.डी.ए गठबन्धन के घटक दल तेलुगुदेशम पार्टी (टी.डी.पी.) ने इन पर आपत्ति जताई थी।

तेलुगुदेशम पार्टी सांसद बालयोगी ने कहा कि उनकी पार्टी सदन के पटल पर इस विधेयक को अपना ''सशर्त समर्थन'' दे रही है। समझा जाता है कि इस मुद्दे पर टी.डी.पी. प्रमुख एन.चन्द्रबाबू नायडू के एतराज के बाद सरकार ने इसे 'होल्ड' पर रखने का निर्णय ले लिया। इस मुद्दे पर चन्द्रबाबू नायडू एवं गृह मन्त्री अमित शाह के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इसे एक दुर्लभ अवसर ही कहा जायेगा, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने अपने किसी विधेयक पर अपने कदम पीछे हटा लिये हों।

वक़्फ़ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया था। अन्य चीजों के अलावा, इन संशोधनों का उद्देश्य राज्य वक़्फ़ बोर्डों के अधिकारों में कटौती करना तथा जिला मजिस्ट्रेटों को नियम तैयार करने के अधिकार देना था। इसके अलावा, वक़्फ़ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों तथा महिलाओं को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे ''असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी'' बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक़्फ़ बोर्डों के संचालन से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **प्रस्तावित विधेयक में एक प्रमुख बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, जिलाधीश को अधिकार दिये हैं, नियम कायदे बनाने के।**
- **साथ ही कुछ गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति का सदस्य बनाने का विरोध किया और कहा, ''जब राम मंदिर के निर्माण के लिये समिति का गठन किया गया था, तो क्या गैर हिन्दुओं को उस समिति का सदस्य बनाया गया था।''**
- **अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था, अतः अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर भाजपा, अपने कट्टरपंथी (हार्ड लाइनर) खेमे को खुश करना चाहती है।**
- **विपक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का।**

मु.मंत्री ने पुरूष हॉकी टीम को कांस्य जीतने पर बधाई दी

जयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेरिस ओलम्पिक में पुरूष हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम ने स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जो जीत दर्ज की है, वह पूरे देश के लिए स्वर्णिम पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दो ओलम्पिक्स में पदक जीता है, यह बात उनकी उपलब्धि को और खास बनाती है। शर्मा ने कहा कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत एवं टीम भावना से प्राप्त यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गौरव का विषय है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, शानदार प्रदर्शन कर स्पेन पर जीत दर्ज करना पूरे देश के लिए स्वर्णिम पल है।**

कालाडेरा में लोहा ढलाई फैक्टरी में बॉयलर फटा, एक की मौत 18 घायल

ओम कास्टिंग फैक्टरी में गुरूवार सुबह लोहा ढलाई के दौरान अचानक तेज धमाके से बॉयलर फट गया

चौमूं/कालाडेरा, 8 अगस्त (निसं)। कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लोहा ढलाई फैक्टरी के बॉयलर (भट्टी) में विस्फोट होने से एक मजदूर की मौत हो गई और 18 मजदूर घायल हो गये। घायलों को एम्बुलैंस से कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद, सात घायलों को गम्भीर हालत होने पर जयपुर सवाईमानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया। घायलों में से दो मजदूरों की हालत गम्भीर बनी हुई है। हादसे में घायल मजदूर सुरेश कुमार जाट (40) पुत्र नारायण लाल हाथनोदा थाना सामोद की उपचार के दौरान मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, ओम कास्टिंग फैक्टरी में लोहा ढलाई का कार्य किया जाता है। गुरुवार सुबह लोहा ढलाई के कार्य के दौरान फैक्टरी में लगे बॉयलर (भट्टी) में तेज धमाके की आवाज के साथ ही विस्फोट हो गया, जिससे फैक्टरी में हड़कंप मच गया। वहाँ काम करने वाले मजदूर बचाव के लिए भागने लगे, लेकिन बॉयलर (भट्टी) के पास काम करने वाले मजदूर झुलस गये। हादसे की सूचना मिलते ही कालाडेरा थाना पुलिस ने मय जप्ता घटना स्थल पर पहुंच कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तहसीलदार डॉ. विजयपाल ने फैक्टरी का अवलोकन किया। कहा जा रहा है कि फैक्टरी में सुरक्षा उपकरणों को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। तहसीलदार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **बॉयलर के पास काम कर रहे मजदूर झुलस गए, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में एक मजदूर सुरेश कुमार जाट की मौत हो गई।**
- **घायलों में से गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल भेजा गया है तथा बाकी का चौमूं के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है।**
- **हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और तहसीलदार डॉ. विजयपाल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।**
- **सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा इंतजामात में भारी लापरवाही सामने आई है।**
- **विधायक डॉ. शिखा मील बराला पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने चौमूं में भर्ती घायलों से मुलाकात की।**

राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों की मीटिंग ली

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अगस्त। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद में पार्टी के लोकसभा सदस्यों की बैठक ली और बांग्लादेश व चीन सहित कई मसलों पर चर्चा की।

लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, पार्टी महासचिव (संगठन प्रभारी) के.सी. वेणुगोपाल के साथ मिलकर बैठक की अध्यक्षता करने वाले राहुल ने पार्टी सांसदों से अपील की कि वे जनता से जुड़े मुद्दे संसद में उठाए। राहुल गांधी ने बाद में एक्स पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **संसद परिसर में हुई इस बैठक में राहुल ने बांग्लादेश और चीन के मसले पर चर्चा की तथा पार्टी सांसदों से जनता के मुद्दे उठाने की अपील की।**

'विपक्ष के कई नेता, जो अब बिल का विरोध कर रहे हैं, प्राइवेटली हमारे पास आकर विधेयक के पक्ष में बोलते थे'

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू ने यह भी दावा किया कि इन नेताओं का कहना था कि वक्फ जमीनों पर माफिया का कब्जा है और बिल लाकर आप इन जमीनों को माफिया के कब्जे से मुक्त कर रहे हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अगस्त। लोकसभा में आज पेश हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को व्यापक जांच के लिए जॉइन्ट पार्लियामैन्टरी कमेटी (जे.पी.सी.) के पास भेजने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ विपक्ष ने मोदी सरकार को बाध्य कर दिया।

विधेयक को संसद में पेश करने वाले केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष द्वारा इस विधेयक को असंवैधानिक बताकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद इसे व्यापक जांच के लिए जे.पी.सी. के पास भेजने का प्रस्ताव रखा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने गुरूवार को विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इसे ''कठोर'' एवं संविधान पर हमला बताया।

रिजिजू के विधेयक पेश करने की मांग के तुरन्त बाद वेणुगोपाल ने इसे पेश किए जाने के विरोध में नोटिस देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लघंन कर रही है और इसके जरिए देश के संघीय सिस्टम पर हमला बोल रही है।

उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को उसकी विभाजनकारी राजनीति को लेकर एक सबक सिखाया था, लेकिन वह हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति जारी रखे हुए हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि सैन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड काउन्सिल तथा ऐसे ही अन्य निकायों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन है।

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सांसद सुदीप बंधोपाध्याय ने कहा कि विधेयक विभाजनकारी, असंवैधानिक एवं गैर संघीय है।

द्रमुक सांसद कनिमोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ''यह संविधान, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय तथा देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। यह किसी भी तरीके से न्याय नहीं दे रहा है।

मंत्री रिजिजू ने विपक्ष के भारी शोरशराबा करने के बाद संसद को बताया कि ''सरकार एक संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करेगी और विधेयक को व्यापक जांच के लिए उसके पास भेजेगी। विधेयक पर वृहद चर्चा करें, और हितधारकों को बुलाए, उनकी राय सुने, विधेयक को कमेटी के पास भेजें तथा भविष्य में हम उनके सुझावों को खुले दिल से सुनेंगे।

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 के उद्देश्य एवं कारणों के अनुसार यह विधेयक वक़्फ़ की जायदाद के बारे में निर्णय लेने की वक़्फ़ बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को समाप्त करना चाहता है।

रिजिजू ने विधेयक के पक्ष में दावा किया कि विपक्ष के कई सीनियर नेताओं ने विधेयक को निजी तौर पर मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि ''विपक्ष मुस्लिमों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **किरन रिजीजू ने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि, वक्फ बिल में किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है।**
- **संशोधित विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं व गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिले।**

हैदराबाद में नॉन वैज की डिलिवरी से इनकार है स्विगी को

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अगस्त। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कई ग्लोबल कैपेबिलिटी सैंटर्स हैं और आधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, को एक सदियों पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो कि भोजन से सम्बंधित है और शहर के नॉन वैज खाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है।

नॉन वैज (मांसाहारी) भोजन खाना अवैध करार नहीं दिया गया है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि इस राज्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **कस्टमर्स का कहना है कि स्विगी व अन्य ऐप्स के डिलिवरी एग्ज़िक्यूटिव पूछते हैं, पैकेट में क्या है, अगर नॉन वैज होता है तो ऑडर नहीं लेते हैं।**

जैसलमेर में सोनार दुर्ग स्थित एक मकान की छत गिरी, हादसा टला

हाल ही में आई बारिश के बाद से मकान कमजोर हो गया था और छत गिर गई

- छत गिरने के समय घर में और आसपास में कोई नहीं होने से जनहानि नहीं हुई
- दो दिन पहले ही दुर्गवासियों ने धरना देकर मकानों की रिपेयरिंग कराने की मांग की थी
- दुर्ग रहवासियों के अनुसार वर्तमान में 14 मकान ऐसे हैं, जिनकी हालत जर्जर है

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर शहर में पिछले दिनों आई लगातार बरसात से दुर्ग में स्थित एक मकान की छत गिर गई। सूचना मिलने पर शहर कोतवाल सवाईसिंह ने दुर्ग पर आकर छत गिरने वाले मकान के आसपास रहने वालों से जानकारी ली। छत गिरने के समय घर में और घर के आसपास में कोई नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार दुर्ग के सैकड़ों निवासियों द्वारा दो दिन पहले ही किले के मुख्य द्वार के आगे धरना देकर प्रशासन से मांग रखी थी कि दुर्गवासियों को अपने मकानों का रिपेयरिंग कार्य करवाने दिया जाये, ताकि भविष्य में कोई जनहानि होने से बचा जा सके, परन्तु प्रशासन द्वारा धरने को नजरअंदाज कर लिया। उसी के नतिजनन गुरुवार को यह मकान की छत गिर गई है, दुर्ग रहवासियों के अनुसार वर्तमान में 14 मकान ऐसे है जिनकी हालत जर्जर है।

शहर कोतवाल सवाईसिंह ने बताया कि मकान कमल व्यास का बताया जा रहा है। मकान मालिक किले से बाहर ही ढिब्बापाड़ा में रहता है। मकान काफी समय से खाली है। हाल ही में आई बारिश के बाद से मकान कमजोर हो गया था और छत गिर गई। सिंह ने बताया कि ऐहतियातन जिस गली में मकान गिरा है, उसको बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है और वहां पुलिस को नियुक्त किया गया है ताकि कोई अंदर गली में ना जाए। लोगों के अनुसार शहर में इन दिनों फ्रांस, इटली, जापान एवं अन्य देशों से विदेशी सैलानियों के ग्रुप आ रहे हैं यही ग्रुप दुर्ग देखने भी आ रहे हैं। भविष्य में सैलानियों के दुर्ग घूमते समय कोई मकान गिरने की घटना होने पर अनहोनी हो जाती है तो प्रशासन को दिल्ली में बैठे इन देशों के एम्बेसेडरों को जवाब देना भारी पड़ जायेगा।

जैसलमेर शहर में पिछले दिनों आई बरसात से सौनार दुर्ग स्थित मकान की छत गिर गई।

इंटरनेट के इस युग में विदेशी सैलानियों को किले के जर्जर मकानों की जानकारी मिल जाने से सैलानी अपना जैसलमेर घूमने का कार्यक्रम रद्द कर देंगे। पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारी का हैड क्वाटर जैसलमेर में नहीं होने से भी खासी परेशानी दुर्गवासियों को झेलनी पड़ रही है। दुर्ग स्थित निजी आवासीय मकानों के मरम्मत कार्यों को, स्थानीय प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं किया जाने से ही गुरुवार को मकान की छत गिरी है।

दुर्ग निवासी दिनेशकुमार श्रीपत ने बताया कि दो दिन पूर्व हुई भारी बारिश के बाद गुरुवार को धूप के तप से दीवारें तड़कने से किले के मध्य स्थित एक ख्यातनाम हवेली धमाके के साथ अंदर से धराशायी हुई है। प्रशासन दुर्ग के संरक्षण के प्रति गंभीरता से ध्यान दें। प्रशासन पानी की निकासी के पुराने गुटनालियों सहित डिफेक्टिव सिविर लाइंस को दुरस्त करावे। उन्होंने बताया कि दुर्ग की प्राचीर के संरक्षण के प्रति एलोटेड बजट का सही उपयोग सुनिश्चित हों ताकि दुर्ग की सुरक्षा अक्षुण बनी रहे, साथ ही दुर्ग के आवासीय एवं व्यावसायिक मकानों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के प्रति लगाई हुई एप्लीकेशन पर पुरातत्व विभाग एवं नगरपरिषद विचार कर अनुमति देवें।

शहर के वरिष्ठ नागरिक कमलकिशोर ने बताया कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग और डेजर्ट नेशनल पार्क का वन विभाग यह दोनों विभाग जिला प्रशासन की बात भी नहीं सुनते, ना ही जनप्रतिनिधि इस समस्या हेतू लोकसभा में बोलते हैं। उसी का नतीजा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है और पुरातत्व विभाग दुर्ग रहवासियों को अपने निजी मकानों की रिपेयरिंग करवाने पर रोक लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को जागृत होने की आवश्यकता है तभी समाधान होगा।

मांडलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों पर छाई हरितिमा के मध्य प्राचीन पर्यटन स्थल मेनाल का जलप्रपात सावन माह में यौवन पर है। इस दूधिया जल प्रपात का आकर्षक नजारा देखने और यहां पिकनिक पर हजारों सैलानी रोज पहुंच रहे हैं। मेनाल में बहते पानी में नहाने के साथ मनोहारी नजारे का लुफ्त भी सैलानी उठा रहे हैं।

कोटा-इटावा ट्रेन पर बदमाशों ने हमला किया

हमले में आरपीएफ जवान व ट्रेकमैन घायल, मोतीपुरा रेलवे स्टेशन की घटना

छबड़ा, (निसं)। मोतीपुरा चौकी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार तड़के चार अज्ञात लूटेरों ने कोटा-इटावा ट्रेन (19811) पर हमला कर दिया। बदमाशों के इस हमले में एक आरपीएफ जवान और ट्रैकमैन घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिए छबड़ा सीएचसी में लाया गया।

रेलवे सूत्रों ने बताया कि गुरूवार तड़के तीन बजे कोटा-इटावा ट्रेन मोतीपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी थी। तभी दूसरी तरफ से आए चार अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन में चढ़कर यात्रियों को लूटने की कोशिश की। सूचना पर गश्त कर रहे आरपीएफ के हैड कांस्टेबल रूपसिंह और ट्रैकमेंटेनर मनीष मीना तुरंत मौके पर पहुंच गए। इनके ललकारते ही बदमाश भाग खड़े हुए। दोनों ने दौड़ लगाते हुए भागते बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी बदमाशों ने रेलवे ट्रेक पर पड़ी गिट्टियों से अचानक दोनों पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में एक गिट्टी रूपसिंह के सिर पर लगी जिससे वह गंभीर घायल हो गया। इसी तरह गिट्टी लगने से मनीष के हाथ-पैर और शरीर पर भी चोटें आईं। इसके बाद मोतीपुरा स्टेशन स्टॉफ ने दोनों को तुरंत छबड़ा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रैफर कर दिया, जहां कोटा रेलवे चिकित्सालय में दोनो का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही बारां और कोटा जीआरपी, आरपीएफ तथा बापचा थाना पुलिस मोतीपुरा और छबड़ा अस्पताल पहुंची। मामले की जांच कोटा जीआरपी द्वारा की जा रही हैं।

सैनिक स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में टीचर को 20 साल की सजा

चार साल आठ महीने बाद आया फैसला, झुंझुनूं की पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया

झुंझुनूं, (निसं)। झुंझुनूं जिले में स्थित एक सैनिक स्कूल में बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में गुरूवार को झुंझुनूं की पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पांच अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 81 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी बगड़ ने बताया कि सैनिक स्कूल में 12 बच्चों ने स्कूल में शिकायत की थी कि उनके टीजीटी अंग्रेजी के टीचर रवींद्र सिंह शेखावत उनके अपने कमरे में बुलाकर उनके साथ यौन शोषण करते हैं। जिस पर सात दिसंबर 2019 को सैनिक स्कूल ने अपनी पनिसमेंट मोनेटेरिंग सेल की बैठक बुलाई और मामले में निर्णय लेते हुए टीचर के खिलाफ सदर थाने में पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कालीपहाड़ी निवासी 36 वर्षीय शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में करीब पांच साल ट्रायल चला। इस दौरान 36 गवाहों के बयान करवाने के अलावा 85 साक्ष्य दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। आज पोक्सो कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की 5/6 में दोषी मानते हुए रवींद्र सिंह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा चार अन्य धारा और इसी धारा में कुल 81 हजार रूपए की अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि सैनिक स्कूल जैसे विद्यालयों में बच्चे अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। इसलिए ऐसी स्कूलों के शिक्षक, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि अभिभावक की भूमिका में भी होते है। यदि अभिभावक के संरक्षण में इस तरह के कृत्य होंगे, तो वो गंभीर विषय है और जघन्य अपराध है। इस मामले में सबसे पहले एक बच्चे ने सामने आकर स्कूल प्रबंधन को अपने साथ हुए यौन शोषण की बात कही थी। जिसके बाद एक-एक कर 12 बच्चे ऐसे सामने आए थे।

आरोपी टीचर।

दिसंबर 2019 में बच्चों ने टीचर रवींद्रसिंह के खिलाफ जो बयान दिए थे। उनमें बताया था कि वह बच्चों को अपने रूम में लंच के समय रेस्ट टाइम या फिर रात को कॉपी-किताब के बहाने बुलाता था और गंदी-गंदी बातें करता था। इसके बाद उनके साथ यौन शोषण करता था। किसी को बताने पर उनके मां-बाप को जेल भिजवाने की धमकी देने के अलावा उनके साथ भी चप्पलों और रॉड से पीटता था। साथ ही बच्चों को स्कूल से सस्पैंड या फिर निकाल देने की धमकी भी देता था। जब अपने साथ हुए यौन शोषण के बाद कुछ बच्चे मायूस और डरे-सहमे दिखाई भी देते थे। तो अन्य टीचरों के पूछने पर ये बच्चे डरे हुए बीमार होने के बहाने बना लेते थे।

इस मामले में परिजनों ने भी बताया था कि टीचर रवींद्र सिंह शेखावत ने पेरेंट्स को विश्वास में ले रखा था। पेरेंट्स की नजर में यदि सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो रवींद्र सिंह शेखावत ही था। वह हर बच्चे के घर तक घुसा हुआ था। साथ ही इस बात को भी दोहराता था कि बच्चे को पढाने और अनुशासन में रखने के लिए उसे पीटना भी पड़ेगा। तो घर वाले मारपीट जैसी शिकायतों पर गौर नहीं करते थे। वहीं खुद ही अपने आप में पॉवरफुल था। इसलिए बच्चे भी कोई शिकायत करने डरते थे।

जिस वक्त घटना खुली तो कई बच्चे स्कूल से टीसी कटवाने को तैयार हो गए थे। लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लगातार बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें पढाई करने के लिए प्रेरित किया। दो-तीन बच्चे तो ऐसे थे। जिनके मन में गुस्सा भरा हुआ था। कोई जांच अधिकारी जब रवींद्र सिंह शेखावत को सर बोलकर संबोधित करता था तो वे बोलते थे कि प्लीज उन्हें सर मत बोलिए।

चचेरे भाई-बहन तालाब में डूबे, मौत

जोधपुर, (कासं)। जिला जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव के निकट चटालिया गांव में तालाब में डूबने से चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई। दोनों भाई-बहन गांव के बाहर बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान एक तालाब में डूबने से दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार घटना खेड़ापा थाना क्षेत्र के चटालिया गांव की है। यहां पर चचेरे भाई-बहन बकरियां चराने के लिए आज दिन में गए थे। इसी जगह पर तालाब आया हुआ है। यहां पर संभवत: पानी पीने के दौरान पैर फिसलने की वजह है बहन तालाब में गिर गई। बहन को बचाने का प्रयास में भाई भी तालाब में डूब गया। खुद तैरना नहीं आने की वजह से दोनों की डूबने से मौत हो गई। मृतक बालिका का नाम बत्तू और भाई का नाम प्रकाश बताया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद खेड़ापा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर सोयला अस्पताल पहुंचाया।

सहोदरा नदी के बहाव क्षेत्र में बहे चाचा-भतीजा, भतीजे की मौत

- पांच दिन पूर्व हुई बारिश के बाद सहोदरा नदी में बहने से तीन मौतें हो चुकी है

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र में 44 साल बाद पांच दिन पूर्व हुई भारी बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 684 मिलीमिटर बरसात होने का एक नया रिकॉर्ड बना लिया। तो पांच दिन पूर्व हुई भारी बारिश के बाद उफान पर आई सहोदरा नदी के बहाव क्षेत्र में बह जाने से अब तक तीन मौतें हो चुकी है।

गुरूवार की सवेरे इंदोली निवासी चाचा-भतीजा पशु लेकर अपने खेतों की ओर जा रहे थे तो इंदोली से नयागांव जाटान के बीच बने रपटे पर असंतुलित हो बहाव के साथ बहे अपने चाचा को बचाने कूदा भतीजा भी पानी में बह गया। चाचा-भतीजा को एक साथ पानी मे बह जाने व चीख पुकार सुनकर आसपास से गुजर रहे ग्रामीण व चरवाहों ने नदी में कूदकर कर दोनों को बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव के चलते चाचा-भतीजा दूर तक पानी के वेग के साथ बह गये। ग्रामीणो ने भी पानी के आगे अपनी हार मानने के बजाय लगातार संघर्ष कर इंदोली निवासी वृद्ध जवाहर जाट को तो पानी से निकाल लिया, अर्द्धचेतन अवस्था में जवाहर जाट को मालपुरा अस्पताल मे उपचार के लिये भर्ती करवाया। जहां से हालत चिन्ताजनक होने पर जयपुर रैफर किया गया।

नदी के बहाव मे दो ग्रामीणों के बह जाने की मिली सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने नदी के बहाव में रैस्क्यू शुरू किया। जवानों के साथ ग्रामीण भी पानी में बहे रामलाल पुत्र नारायण जाट की तलाश में जुट गये। करीब एक घंटे से अधिक समय तक चले रैस्क्यू में एसडीआरएफ जवानों ने रामलाल को खोज निकाला। अचेतावस्था में रामलाल को मालपुरा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। चाचा-भतीजा को निकालने के लिये नदी में कूदे मृतक रामलाल के बेटे विनोद को भी मालपुरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उपचार शुरू किया गया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवा पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा।

युवक ने सुसाइड का प्रयास किया

भीलवाड़ा, (निसं)। आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने सुसाइड का प्रयास किया। सुसाइड की कोशिश से पहले बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कोटड़ी थाना क्षेत्र के ककरोलिया माफ़ी निवासी कैलाश पिता श्याम लाल नायक (35) ने बताया की वह गांव के ही कुछ लोगो से उधार दिए पैसे मांगता है। लम्बे समय से उसका ही पैसा उसे लौटाया नही जा रहा था।

रलायता गांव की चरागाह भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग

आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया

- चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर किये निर्माण को लेकर भूमाफिया और ग्रामीणों में तनाव बना हुआ है

माण्डलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ उपखण्ड के रलायता ग्राम पंचायत में पटवारी और जिम्मेदार अफसरों की कथित लापरवाही के चलते चरागाह भूमि विवाद पर कभी भी बड़ी घटना होने की आशंका बनी हुई है। गांव की चरागाह की भूमि पर अवैध कब्जा कर किए गए कच्चे और पक्के निर्माण को लेकर भूमाफिया और ग्रामीणों में तनाव की स्थित बनी हुई है। इस मामले को लेकर रलायता गांव के लोगों ने पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार ललित डिडवानिया को ज्ञापन दिया।

ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि रलायता ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित हैं।और बेशकीमती मानी जाती है। उक्त भूमि पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर पटवारी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि ग्राम पंचायत ने पटवारी को भी अवगत कराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय पटवारी से मिलीभगत कर चरागाह की जमीन पर भूमाफिया ने पक्के मकान और बड़ी साइज में पशुधन के बाड़े बना लिए हैं। ग्रामीणों ने मांडलगढ़ एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी को पूर्व में कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को अपने पशुओं को चराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफिया गिरोह प्रभावशली होने प्रशासन कार्रवाई में ढिलाई बरत रहा हैं जिससे कभी भी टकराव की स्थिति उतपन्न हो सकती है। ज्ञापन देने में रलायता गांव के जगदीश चंद्र जाट, कैलाश प्रजापत, सांवरलाल जाट, भंवर प्रजापत, प्रकाशचंद्र, शंकर लाल, मथुरा लाल, बद्री लाल, भैरूलाल, पोखर जाट, उदय लाल धाकड़, कालू लाल जाट, सांवरमल, गणेश जाट, शंकर जाट, मंगल शर्मा, जमनालाल, रामलाल जाट, मथुरालाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

मांडलगढ़ के रलायता गांव की चरागाह भूमि पर अवैध मकान और बाड़े बना लिये।

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक :- राजुवास/बीवीएससी एण्ड एएच प्रवेश/2024-25/204 दिनांक :- 08.08.2024

B.V.Sc. & A.H. डिग्रीपाठ्यक्रम में प्रवेश के क्रम में आवश्यक सूचना

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के सक्षम अनुमति प्राप्त संघटक एवं सम्बद्ध प्राईवेट वेटरनरी कॉलेजों में B.V.Sc.& A.H. डिग्री पाठ्यक्रम (सत्र 2024–25) में प्रवेश National Testing Agency (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG)-2024 परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आवेदन जो कि NRI/NRI sponsored कोटे के अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 12 अगस्त, 2024 तथा स्टेट कोटा अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन दिनांक 21 अगस्त, 2024 से विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rajuvas.org के माध्यम से भरे जायेंगे। प्रवेश हेतु अन्य आवश्यक विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट उपलब्ध रहेंगे।

चेयरमैन,
केन्द्रीय स्नातक प्रवेश मण्डल

राज.संवाद/सी/24/3532

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-मण्डरायल

क्रमांक- 225-233 दिनांक-05.08.2024

निविदा सूचना संख्या-01/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न कार्यो के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि के पंजीकृत संवेदकों जो कि राज्य सरकार के ए ए बी सी डी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदाओं से संबंधित विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB CODE- PWD2425A1024, UBN-PWD2425WSOB03833

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड मण्डरायल

DIPR/C/7141/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-बाड़मेर

क्रमांक-551 दिनांक-31.07.2024

निविदा सूचना संख्या- 03 वर्ष 2024-2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से बाडमेर जिले में विभिन्न सड़क एवं भवन निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ए, ए व बी, सी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://spps.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। उक्त कार्यो में अनबेलेन्स बिड लागू रहेगी।

1. PWD2425WSRC03747, 2. PWD2425WSRC03748, 3. PWD2425WSRC03749
NIB NO.: PWD2425A0989

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड-बाड़मेर

DIPR/C/7086/2024

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) उदयपुर

क्रमांक:/निविदा/PMFME-CIC(O&M)/2024-25/403-414 दिनांक:- 07.08.2024

ई-निविदा सूचना: 08/ 2024-25

कृषि उपज मण्डी समिति, (फल सब्जी) उदयपुर द्वारा खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये दो प्रसंस्करण लाईनों (1. Fruits Pulp and Juice line and 2. Cleaning, grading, Packaging and Paste Unit of Spices) हेतु कॉमन इन्फ्यूबेषन सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इन्फ्यूबेषन सेन्टर को व्यावसायिक आधार पर किसी तीसरे पक्ष/निजी संस्थान को 05 वर्ष हेतु ठेके पर संचालन एवं प्रबंधन (O&M) के लियें इच्छुक योग्य निर्माताओं/वितरकों/फर्मों/पंजीकृत संस्थाओं/कम्पनीयों से दिनांक 08.08.2024 से 28.08.2024 तक ई-निविदा आंमन्त्रित की जाती है। निविदा से संबन्धित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in/www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। (NIB:-DAM2425A0265)

UBN:-DAM2425WSOB00620

राज.संवाद/सी/24/3557 प्रशासक सचिव

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE RAJ JAIPUR

v-15(5)PS/SAMGRI/PDF/2024-25/ DATED-

NOTICE INVITING BIDS

NIB NO. POL2425A0014

Bids for Many Item's of estimated value INR 1,40,70,000/- are invited from interested bidders up to 05.08.2024 at 11.00 am. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in) (https://sppp.rajasthan.gov.in/) of the state, and https://www.police.rajasthan.gov.in

UBN.- Laser Printer-POL2425GLOB00023, Latest Note Book - POL2425GLOB00024, All in One Desktop - POL2425GLOB00025, Bodyworn Camera - POL2425GLOB00026, Scanner - POL2425GLOB00027, Multifunctional Printer - POL2425GLOB00028, Colour Pirnter - POL2425GSOB00029

Supdt. of Police
Central Stores, PHQ Raj. Jaipur
Tel- 0141-2744289
Mail ID- sp.cstore.pmw@rajpolice.gov.in

DIPR/C/7058/2024

Office of The Program Officer (EGS) Cum BDO Panchayat Samiti Sayla (Jalore)

No.115 Date: 05.08.2024

Notice Inviting Bid-01/2024-25

Bid for Supply Work of Material and Equipments & Work tenders for various work as below are invited from interested bidders under various Gram Panchayats of Panchayat samiti sayla. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://proc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and notice board of this office.

Name of Gram Panchayat	approximate value of the procurement	UBIN
Ummedabad	100.00 Lakh	ZJR2425GLRC00315
Komta	60.00 Lakh	ZJR2425GLRC00319
Chorau	50.00 Lakh	ZJL2425GLRC00318
Veerana	50.00 Lakh	ZJL2425GLRC00317
Anwloj	80.00 Lakh	ZJR2425GLRC00316
Mandwla	100.00 Lakh	ZJR2425GLRC00322
Elana	80.00 Lakh	ZJR2425GLRC00321

Programme Officer (EGS) Cum BDO
Panchayat Samiti Sayla (Jalore)

DIPR/C/7127/2024

इन्टरनेशनल स्कूल में पौधारोपण हुआ

कोटा, (निसं)। प्रगति इन्टरनेशनल स्कूल, पुलिस लाईन, कोटा में गुरूवार को अमृतम महोत्सव के तहत विद्यालय परिवार द्वारा स्कूल प्रांगण में लगभग 25 पौधे रोपे गये जिसमें विद्यालय के बच्चों ने अपने हाथों से गमलों में पौधे लगाये। विद्यालय स्टॉफ ने बच्चों को पौधो से पेड़ बनकर फल देने तक की प्रक्रिया और उनसे होने वाले लाभ से सभी को विस्तृत जानकारी दी। सभी बच्चों ने पौधो की सार-सम्भाल के नियम और दैनिक जीवन में पेड़-पोधों से मिलने वाली शुद्ध प्राणवायु के महत्व को समझा।

विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉ.फैमिना ने बताया कि पौधे-पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जरूरी है यह हमे जीवन के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल और गर्मी के छाव देते है धरा को हरा-भरा रखने एवं जीवन को बचाने के लिए पेड़-पौधो की आवश्यकता होती है पर्यावरण को बचाना हम सबकी अहम जिम्मेदारी होनी चाहिऐं जिसे प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिऐं। विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चो ने इस पौधा रोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी जानकारियों को ध्यान से सुना और अपने अपने घर में पेड़-पौधे लगाने का संकल्प लिया।

जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही राजस्थान की भजनलाल सरकार : ऊर्जा राज्य मंत्री

बून्दी, (निसं)। बूंदी ऊर्जा राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार रात्रि को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट 2024-25 के अंतर्गत बूंदी के लिए की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्रीभजन लाल शर्मा के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संवेदनशील है।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। साथ ही सभी अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 को धरातल पर उतारने का कार्य शीघ्रता से करें। मंत्रीनागर ने बूंदी जिले की बजट घोषणा, स्वीकृत राशि, भूमि आवंटन के लिए की गई कार्यवाही, अनुमानित तकमीना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा एवं कार्यादेश जारी होने की स्थिति के बारे में संबंधित

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।

विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक दृष्टि के साथ अग्रसर हो रही है।

उन्होंने कहा कि जिन बजट घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता है उनके लिए सभी संबंधित विभागीय अधिकारी भूमि आवंटित कराकर घोषणा को मूर्त रूप देने का कार्य करें। मेधावी छात्र छात्राओं को टेबलेट वितरित करने के दिए निर्देश।

मंत्री नागर ने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 15 अगस्त पर बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले 1287 मेधावी छात्र-छात्राओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से टेबलेट वितरित करवाएं।

बैठक में जिला प्रमुख चन्द्रावती कंवर, जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा, जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गाशंकर मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग नवरत्न कोली, उपखण्ड अधिकारी दीपक मित्तल, डीएफओ संजीव शर्मा, डीएफओ वीरेन्द्र कृष्णियां सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

किशोर-किशोरियों को देंगे कृमिनाशक दवा

कोटा, (निसं)। जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) 10 अगस्त, शनिवार को आयोजित होगा। इसमें 1 से 19 साल तक के बच्चों, किशोर-किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों, सरकारी एवं निजी स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों आदि में कृमिनाशक एल्बेंडाजॉल की दवा नि:शुल्क खिलाई जाएगी। दवा लेने से छूट बच्चों को 17 अगस्त को मॉपअप दिवस पर दवा दी जाएगी। सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी ने बताया कि इस संबध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जिला परिषद, अल्प संख्यक विभाग एवं कॉलेज शिक्षा के जिला स्तरीय अधिकारियों को राज्य स्तर से आवश्यक निर्देश जारी हो चुके है।

कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी व डिप्टी सीएमएचओ प.क डॉ गोविन्द सिंघल ने बताया कि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण बच्चों व किशोर-किशोरियों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बोद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्त (डिवर्मिंग) करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की दवा लेने से बच्चों में पेट/आंत के कृमि (कीड़े /वार्म) खत्म होते हैं। जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरूद्ध नही होता। डॉ सिंघल ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा की आधी गोली चम्मच से चूरा कर चम्मच में पानी के साथ मिलाकर पिलाई जाएगी। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली चूरा कर के पानी के साथ तथा 3 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बच्चों को पूरी एक गोली चबाकर पानी के साथ लेनी होगी। इस दवा से पेट के कृमि मरते हैं इसलिए कुछ बच्चों में जी मिचलाना, उल्टी या पेट दर्द जैसे सामान्य छुट-पुट लक्षण दिखाई दे सकते हैं लेकिन ये सामान्य व अस्थाई हैं। जो बच्चे बीमार हैं या कोई अन्य दवाई ले रहें हैं, उन्हे ये दवा नही खिलाई जाएगी। एक संक्रमित व्यक्ति की शौच में कृमि के अंडे होते है जो कि मिट्टी में विकसित हो जाते हैं। अन्य व्यक्ति संक्रमित भोजन से गंदे हाथों से या फिर त्वचा के लार्वा के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। अन्य बच्चे नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से या फिर बिना ढका हुआ भोजन लेने से लार्वा के संपर्क मे आकर संक्रमित हो जाते हैं।

लांयस क्लब ने विद्यालय में पौधे लगाएं

कोटा, (निसं)। लांयस क्लब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिता में विद्यार्थिओं को गुड व बेड टच के बारे में समझाया और संस्कार निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। अध्यक्ष प्रमोद विजय ने बताया कि इस अवसर पर सदस्य अजय गुप्ता व शशि कला गुप्ता के सहयोग से 5 सीलिंग फैन भी विद्यालय को भेंट किए गए। विद्यालय की क्बल सदस्यों ने विद्यालय परिसर में 11 पौधे लगाए।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पूरा नाम श्रेया से बदल कर श्रेया धारीवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये।
पता-कृष्णा कॉलोनी, रामगंजमंडी (जिला-कोटा), राजस्थान-326519

खोया पाया

दर्शन कुमार कवलानी पुत्र घनश्याम दास कवलानी 5-G-18 महावीर नगर विस्तार योजना का आवंटन पत्र कब्जा पत्र अदेय प्रमाण पत्र इन्वेंटरी जमा राशि व लीज जमा की रसीदे कहीं गुम हो गई है, किसी को मिलने पर सूचित करें।

बालाजी मन्दिर में सात दिवसीय शिव महापुराण कथा प्रारम्भ हुई

झालावाड़, (निसं)। मूर्ति चौराहा पर स्थित श्री खेजड़ी के बालाजी मन्दिर पर 8 अगस्त गुरूवार से सात दिवसीय शिव महापुराण कथा प्रारम्भ हुई। श्री खेजड़ी के बालाजी मन्दिर समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र गौड़ ने बताया कि कथा के प्रारम्भ में झिरी महादेव मन्दिर से कलश यात्रा प्रारम्भ हुई जो झालावाड़ के प्रमुख मार्गो से होकर श्री खेजड़ी के बालाजी मन्दिर कथा स्थल पर पहुंची।

कलश यात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। कलश यात्रा में महिलाएं परम्परागत वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर मंगलगीत गाते हुए ढ़ोल बाजे के साथ शिव पताका लेकर चल रही थी। कलश यात्रा मन्दिर में पहुंचकर यात्रा का समिति द्वारा भव्य स्वागत करके पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा के साथ कथावाचक पण्डित राजेश रामायणी भी साथ थे। व्यास गद्दी की समिति द्वारा पूजा अर्चना की गई, शिवपुराण की पूजा अर्चना की गई तािा कथावाचक पण्डित राजेश रामायणी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कथा प्रारम्भ करते हुए कथावाचक राजेश रामायणी ने शिव महापुराण कथा के महत्व के बारे में बताया तथा कहा कि इस पवित्र सावन माह में शिव कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। इस दौरान समिति के कालूराम, ओमप्रकाश, लक्ष्मीनाथ तिवारी, प्रमोद शर्मा, करण सिंह, राजेश सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे तथा कलाश यात्रा का स्वागत किया। यह कथा सभी भक्तजनों के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

स्तनपान सप्ताह में कई कार्यक्रम आयोजित

कोटा, (निसं)। इनरव्हील क्लब कोटा द्वारा महिलाओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत इनरव्हील क्लब कोटा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सप्ताह की शुरुआत भारत विकास परिषद हॉस्पिटल से की गई प्रसुताओं को गुड़ दलिया व बच्चों के खिलौने भेंट किए गऐं। जे.के.लॉन अस्पताल में प्रसुताओं को गुड़ और डालिये का वितरण किया गया। राजकीय स्कूल नांता दादाबाड़ी में बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। क्लब सदस्यों द्वारा विद्यांजलि स्कूल में एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। विश्व स्तनपान समारोह का समापन रोटरी बिनानी क्लब में किया गया।

गरीब परिवारों के स्कूली बच्चों को छाते का वितरण किया

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 71 के सेक्टर 2 व 3 में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छोटे पांव मजबूत कदम की एक नई शुरूआत करते हुए वार्ड संख्या 71 के पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी के नेतृत्व में पार्षदगण और समाजसेवीगण के साथ गरीब परिवारों के स्कूली बच्चों को छाते का वितरण किया गया।

तलवण्डी में 500 बच्चों को छाते वितरित किये गये। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य है कि बरसते पानी में किसी गरीब बच्चे के कदम ना रूकें और वह ओढ़कर स्कूल जा सकें ताकि बारिश के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो सके। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक शेख

कोटा में बरसात के मौसम को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों को छाते प्रदान किए गए हैं।

जाकिर हुसैन, पीटीआई हेमन्त कुमार, मंजुला गुप्ता, संजय जैन आदि सभी ने विद्यालय के आसपास वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद गोपालराम मण्डा, भानू प्रताप सिंह, संजीव विजय समाजसेवी दुष्यंत सिंह गहलोत, दीपक सेन, दुर्गेश शर्मा, कैलाशचन्द मंगल, भारत सिंह गहलोत, सज्जन सिंह इत्यादि उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/8093 दिनांक: 8.8.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजीव कुमठ पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल निवासी-348 ए तलवण्डी योजना कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-348 ए तलवण्डी योजना कोटा क्षेत्रफल-3555 वर्गफुट का कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण आवासीय कोटा के कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के क्रमांक : एफ 11/वि/तल/1180-82 दिनांक 03.09.1987 से श्री के.एल. कुम्मठ पुत्र श्री एम.एल. कुम्मठ को पट्टा जारी किया गया। श्री के.एल. कुम्मठ पुत्र श्री एम.एल. कुम्मठ की मृत्यु दिनांक 26.05.2024 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती शिल्पा कुमठ पत्नी स्व. श्री के.एल. कुम्मठ ने उक्त भूखंड में से अपना हक श्री राजीव कुमठ पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल के पक्ष में पंजीकृत हक त्यागपत्र दिनांक 29.07.2024 से त्याग दिया है। श्री राजीव कुमठ पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/8099 दिनांक: 8.8.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रामकरण पुत्र स्व. श्री माधोलाल निवासी तालाब के पास बालाजी के मंदिर के साईड में रंगबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-443 केशवपुरा कोटा क्षेत्रफल 445.62 वर्गफुट का कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के पत्र क्रमांक : नियमन-आवंटन/200/......दिनांक 26.08.2003 से श्रीमती नन्दू बाई पत्नी स्व. श्री माधो लाल को किया गया। श्रीमती नन्दू बाई पत्नी स्व. श्री माधो लाल की मृत्यु दिनांक 06.11.2021 को हो चुकी है। उनके शेष विधिक वारिसान श्री रामकरण पुत्र स्व. श्री माधोलाल है। श्री रामकरण पुत्र स्व. श्री माधोलाल के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ किसान होंगे पुरस्कृत

कोटा, (निसं)। आत्मा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदन भिजवाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।

परियोजना निदेशक आत्मा आर.के. जैन ने बताया कि जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन व डेयरी, जैविक खेती तथा नवाचारी खेती में एक-एक किसान का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पांचों पंचायत समितियों में अधिकतम 25 प्रगतिशील कृषक पुरस्कृत हो सकेंगे। पंचायत समिति स्तर पर चयनित किसानों में से प्रत्येक गतिविधिवार दो किसान 10 श्रेष्ठ किसानों को जिला स्तर पर चयनित किया जाएगा। राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तर के चयनित किसानों में से प्रत्येक गतिविधि के लिए दो-दो किसानों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए प्रत्येक गतिविधिवार पंचायत समिति स्तर पर 10 हजार रूपये, जिला स्तर पर 25 हजार रूपये एवं राज्य स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाने का प्रावधान है। कृषक अपना आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर उत्कृष्ट कार्यो की जानकारी मय सीडी एवं फोटो ग्राफ, प्रमाण-पत्र यदि कोई है, सहित कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक कृषि विस्तार सांगोद, जिला विस्तार अधिकारी सीएडी कोटा एवं सुल्तानपुर पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग के माध्यम से उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा कोटा को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुकुंदरा और रामगढ़ टाइगर रिजर्व को मिलेंगे 9 बाघ-बाघिन

कोटा,(निसं)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा-बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व को जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जल्द 9 बाघ-बाघिन छाड़े जाएंगे। इसके अलावा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में सुविधाओं को विकसित कर जल्द ही टाइगर सफारी को भी शुरू किया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति में गुरूवार को संसदीय क्षेत्र कोटा-बून्दी में वन विभाग और दोनों टाइगर रिजर्व से संबंधित विषयों को लेकर बैठक हुई। बैठक में स्पीकर बिरला ने दोनों टाइगर रिजर्व में बाघ-बाघिन व अन्य वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने और कोटा में सफारी को शीघ्र शुरू करने को कहा। बैठक में मुकंदरा टाइगर रिर्जव में 2 बाघ व एक बाघिन व रामगढ़ विषधारी में 6 बाघ-

- **बिरला के प्रयासों से जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, पर्यटन को लगेंगे पंख**

बाघिन सहित अन्य वन्यजीव छोड़ने का निर्णय हुआ।

कोटा-बून्दी के वन भूमि क्षेत्र में लम्बे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय हुआ। वन भूमि अधिनियम के तहत इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी ताकि आमजन को लाभ मिल सके। इस दौरान चम्बल नदी में रिवर क्रूज के संचालन में आ रही बाधा को दूर करने को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय वन मंत्री ने अधिकारियों को क्रूज संचालन से संबंधित कार्यवाही को पूरा करने के निर्देश दिए। चित्तोड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद रहे।

अभेड़ा में नए एनक्लोजर बनेंग: अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क में बजट के अभाव में लम्बे समय में रूका हुआ दूसरे फेज का काम भी जल्द ही शुरू होगा। कैम्पा निधि से यहां नए एनक्लोजर्स निर्माण व अन्य विकास कार्यों होंगे। वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य के अधिकारियों को इसका प्रस्ताव भेजने को कहा है। पूर्व में सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से यहां 35 एनक्लोजर्स की स्वीकृति मिली थी लेकिन वर्तमान में यहां 13 एनक्लोजर्स ही बन सके हैं। नए एनक्लोजर्स के निर्माण के बाद यहां घड़ियाल, जलीय जीव व विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को भी लाया जा सकेगा। बैठक में यह अधिकारी रहे मौजूद-बैठक में लोक सभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल) अरिजीत बनर्जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) पवन कुमार उपाध्याय, उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कल

रामगंजमंडी, (निसं)। जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) 10 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इसमें 1 से 19 साल तक के बच्चों किशोर-किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों सरकारी एवं निजी स्कूलों उच्च शिक्षण संस्थानों तकनीकी संस्थानों मदरसों आदि में कृमिनाशक एल्बेंडाजॉल की दवा नि:शुल्क खिलाई जाएगी।दवा लेने से छूट बच्चों को 17 अगस्त को मॉपअप दिवस पर दवा देंगे। सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी ने बताया कि इस संबध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जिला परिषद, अल्प संख्यक विभाग एवं कॉलेज शिक्षा के जिला स्तरीय अधिकारियों को राज्य स्तर से आवश्यक निर्देश जारी हुए है।कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी व डिप्टी सीएमएचओ प.क डॉ गोविन्द सिंघल ने ने बताया कि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण बच्चों व किशोर-किशोरियों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बोद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-1357 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 8.8.24

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड/आवास/दुकान संख्या 48 कार्नर योजना रानपुर आवासीय में आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 22.12.2010 को श्री बरकतुल्ला खां पुत्र श्री कंवर हफीजुल्ला खां के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटी श्री बरकतुल्ला खां की मृत्यु दिनांक 30.05.2022 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान श्रीमती नसीम बैगम पत्नी स्व. श्री बरकतुल्ला खां द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, हक त्याग पत्र, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 48 कार्नर योजना रानपुर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती नसीम बैगम पत्नी स्व.श्री बरकतुल्ला खां के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-889 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 8.8.24

नगर विकास न्यास कोटा की टैगोर योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 189 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 17.08.05 को श्रीमती मधु मोदी पत्नी श्री रमेश कुमार मोदी को किया गया था। आवंटी श्रीमती मधु मोदी पत्नी श्री रमेश कुमार मोदी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री कैलाश चंद पुत्र श्री छोगा लाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.02.24 को श्री सत्यनारायण मेघवाल पुत्र श्री जगन्नाथ को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 189 योजना टैगोर नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री सत्यनारायण मेघवाल पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-869 विज्ञप्ति दिनांक 7.8.24

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या 682 विवेकानन्द नगर आवासीय योजना में आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 07.08.2021 को श्रीमती जयन्ती जैन पत्नि श्री दुलीचन्द जैन के नाम आवंटन किया गया था। आवंटी श्रीमती जयन्ती जैन पत्नि श्री दुलीचन्द जैन द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री प्रहलाद कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा जर्ये मुख्तारआम प्रभावी दिनांक 06.04.2004 को श्री बृजमोहन मेहता पुत्र श्री जमना लाल जी मेहता को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 682 योजना विवेकानन्द नगर का नाम हस्तान्तरण श्री बृजमोहन मेहता पुत्र श्री जमना लाल जी मेहता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक : LU2012/KOT/2024-25/100743 **लोक सूचना** दिनांक : 08.08.2024

श्रीमती GIRIRAJ PRASAD पुत्र श्री BABU LAL PRASAD जाति MEGHWAL निवासी PREM NAGAR CHORAHA IST POOJA CYCLE KI GALI, PREM NAGAR UDHYOG PURI, KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सोगरिया, लाड़पुरा (कोटा)	GIRIRAJ PRASAD S/O BABU LAL PRASAD HISSA PURNA NIWASI PREM NAGAR CHOURAHA FIRST POOJA CYCLE KI GALI PREM NAGAR, KOTA KHATEDAR	681/112	9000	0.9
				कुल	0.9

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08.08.2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी (बून्दी)

क्रमांक :- 352 दिनांक :- 07/08/2024

आम सूचना

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-5)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-5 एवं राज्य सरकार के नियम, 2016 के नियम-7 के प्रावधानुसार जिला बून्दी की तहसील इन्द्रगढ़ के प्रभावित ग्रामों में नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत नवनेरा बैराज के डिलीवरी सिस्टर्न से मेज एनिकट के भराव तक सभी संरचनाओ सहित फीडर निर्माण हेतु निजी खातेदारी का अधिग्रहण किया जाना है। अत: भूमि अर्जन हेतु निम्न ग्रामों के प्रभावित व्यक्ति/हितधारकों की जनसुनवाई बैठक भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार आयोजित की जायेगी।

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	ग्राम	दिनांक	समय	जनसुनवाई स्थान
जिला बून्दी						
1	इन्द्रगढ़	गोहाटा	गोहाटा, कोटाखुर्द	30.08.2024	10.30 बजे से	ग्राम पंचायत भवन गोहाटा
2		दहीखेड़ा	दहीखेड़ा	30.08.2024	02.30 बजे से	ग्राम पंचायत भवन दहीखेड़ा
3		लबान	लबान	31.08.2024	10.30 बजे से	ग्राम पंचायत भवन लबान
4		खरायता	डप्टा, खरायता रामगंज	31.08.2024	02.30 बजे से	ग्राम पंचायत भवन खरायता

अतः इस जनसुनवाई में भूमि अवाप्ति से समस्त प्रभावित हितधारकों/खातेदारों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं सुझाव अपेक्षित है।

राज.संवाद/सी/24/3520

भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, (बून्दी)

अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालने को लेकर सौंपा ज्ञापन

बून्दी, (निसं)। बांग्लादेश में कुछ समय से चल रही अस्थिरता के चलते वहां पर अल्पसंख्यक हिन्दूओं एवं हिंदू मंदिरों को निशाना बना कर किए जा रहे अत्याचार व हमलों के विरोध में गुरूवार को हिंदू जागरण मंचएवं सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में आक्रोश रैली निकाल कर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बांग्लादेशी आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया और भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को तुरन्त भारत से बाहर निकालने की मांग को लेकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अक्षय गौदारा को ज्ञापन सौंपा गया।

हिंदू जागरण मंच के जिला सहसंयोजक प्रशांत मोदी ने बताया कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुछ समय से अस्थिरता व्याप्त हैं, जिसके चलते कुछ आतंकवादी कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों द्वारा निरंतर वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों एवं हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उनके साथ तोड़फोड़ एवं मारपीट की जा रही है। जिसके कारण संपूर्ण बांग्लादेश में हिंदू समाज भय के माहौल में जी रहा है।

अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को तुरन्त भारत से बाहर निकालने की मांग कीं।

जिसके चलते भारत का हिंदू समाज बहुत आहत है, ऐसे में भारत सरकार से निवेदन है कि अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के माध्यम से हिंदू समाज से जुड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए सुरक्षित भारत देश में वापसी कराई जाए एवं तुरंत प्रभाव से भारत देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को तुरंत भारत देश से निकाला जाए। इससे पूर्व हिंदू समाजबंधु अहिंसा सर्किल के यहां एकत्रित होकर विशाल आक्रोश रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे और बांग्लादेशी आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन को अदालत परिसर में हिंदू समाज को अंदर जाने से रोकने पर भारी विरोध प्रदर्शन एवं तीखी नोंकझोंक की स्थिति बन गई। लगभग एक घंटे तक हुए विरोध प्रदर्शन करने के बाद उचचाधिकारियों के हस्तक्षेप

- **पुतला दहन कर बांग्लादेश में हिंदूओं पर हो रहे आक्रोश के प्रति जताया विरोध**

के बाद हिन्दू समाज के प्रतिनिधियों को जिला कलेक्टर में जाने दिया गया। जिसके बाद हिन्दू समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अक्षय गौदारा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आचार्य हरिओम शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य मनीष शर्मा, युवा प्रमुख संयोजक भोला शंकर प्रजापत, सह संयोजक हेमन्त मेहरा, गुलशन शर्मा, विजय नारायण सेन, उदय सिंह, विश्व हिन्दू परिषद् नगर अध्यक्ष कुलदीप वधवा, रमेश जैन, ओम शर्मा, पितांबर शर्मा, कालु लाल जांगिड़, प्रेम जांगिड़, संदीप देवगन, मनमोहन अजमेरा, सुनील हाड़ोती, सुरेश कुमार सेन, अमन गोस्वामी, मुकेश कुमार शर्मा जिला मंत्री रा.शि.संघ, रामफुल कराड़, राधेश्याम, मोहन अग्रवाल आदि अन्य सैकडों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:- एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1769 विज्ञप्ति दिनांक:-30.07.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब योजना सर्वोदय नगर खसरा नं. 73 में स्थित भूखण्ड संख्या 63-ए के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सीताराम निवासी-ग्राम पाडलिया, तहसील दीगोद जिला कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 63 का पट्टा क्रमांक 499 दिनांक 21.02.2022 को श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का उप-विभाजन क्रमांक 897 दिनांक 07.06.2022 से भूखण्ड संख्या 63-ए व 63-बी करवा लिया गया है। उपविभाजन पश्चात भूखण्ड संख्या 63-बी कर बैचान जर्ये पंजीकृत मुख्तारआम श्री तेजमल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.2022 से श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सीताराम को कर दिया गया है।

अत: श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सीताराम के नाम हस्तान्तरण किये जाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:- एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1770 विज्ञप्ति दिनांक:-30.07.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब योजना सर्वोदय नगर खसरा नं. 73 में स्थित भूखण्ड संख्या 63-बी के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सीताराम निवासी-ग्राम पाडलिया, तहसील दीगोद जिला कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 63 का पट्टा क्रमांक 499 दिनांक 21.02.2022 को श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का उप-विभाजन क्रमांक 897 दिनांक 07.06.2022 से भूखण्ड संख्या 63-ए व 63-बी करवा लिया गया है। उपविभाजन पश्चात भूखण्ड संख्या 63-बी कर बैचान जर्ये पंजीकृत मुख्तारआम श्री तेजमल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.2022 से श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सीताराम को कर दिया गया है।

अत: श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सीताराम के नाम हस्तान्तरण किये जाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

आकेली गांव की रपट से बांडी नदी में डूबे व्यक्ति का शव बरामद

पाली, (नि.सं.)। एसडीआरएफ टीम ने पुलिस थाना सदर जिला पाली के अन्तर्गत आकेली गांव की रपट से बांडी नदी में डूबे 35 वर्षीय व्यक्ति के शव को बरामद कर लिया।

गुरुवार को पुलिस कन्ट्रोल रूम जिला पाली से पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत आकेली गांव के समीप बांडी नदी में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना राजस्थान कन्ट्रोल रूम जयपुर को मिलने पर एसडीआरएफ कन्ट्रोल रूम द्वारा कमाण्डेन्ट राजेन्द्र सिंह सिसोदिया के निर्देशानुसार एसडीआरएफ कम्पनी जोधपुर की रिजर्व पुलिस लाईन पाली में तैनात रेस्क्यू टीम एफ-08 के प्रभारी कानि. गणपत को घटनास्थल के लिए रवाना होने के निर्देश दिए। रेस्क्यू टीम प्रभारी 10 जवानों की टीम तथा आपदा राहत उपकरणों के साथ सायं घटनास्थल पर पहुंचे। टीम कमाण्डर ने स्थिति का जायजा लिया तथा एसडीआरएफ कमाण्डेन्ट को बताया कि जिले में भारी बरसात के कारण बांडी नदी उफान पर है।

पुलिस थाना सदर पाली के अन्तर्गत ग्राम आकेली के समीप नदी की रपट पर एक व्यक्ति स्नान करने के दौरान डूब गया था, व्यक्ति के शव की तलाश हेतू स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीणों के द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। बांडी नदी अपने पूरे वेग से बह रही है एवं नदी की गहराई 10 से 20 फीट है। एसडीआरएफ राजस्थान कमाण्डेन्ट ने टीम कमाण्डर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

टीम कमाण्डर के निर्देश पर रेस्क्यू टीम के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट को तेज गति से चलाकर नदी के पानी को हिलाया। लाइन एवं जिक जैक सर्च तकनीक से नदी में गोता लगाकर व्यक्ति के शव को तलाश किया। रेस्क्यू टीम ने बांडी नदी में डूबे मानाराम पुत्र रूपाराम निवासी ग्राम आकोला थाना सदर पाली के शव को बरामद कर स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया।

एसडीआरएफ टीम ने बांडी नदी में डूबे 35 वर्षीय व्यक्ति के शव को बरामद किया।

सुमेरपुर में 6 एमएम बारिश हुई

पाली, (निसं)। पिछले चौबीस घंटों के दौरान सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में सर्वाधिक 6 एमएम तथा मारवाड़ जंक्शन एवं रायपुर में न्यूनतम एक-एक एमएम वर्षा दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग के नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रात: 8:30 बजे तक सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में सर्वाधिक 6 एमएम बारिश दर्ज की गई। इसी प्रकार बाली में दो एमएम, मारवाड़ जंक्शन में एक एमएम, रायपुर में एक एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं जवाई बांध का गेज 21.55 फीट पहुंचा।

खाते से सात लाख रुपये निकाल धोखाधड़ी मामले का खुलासा

राशि को ई-मित्र के माध्यम से निकालने वाला गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल चुराकर बैंक खाते से जुड़ी सिम का दुरुपयोग कर बैंक खाते से सात लाख की राशि निकलने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक जिला भीलवाड़ा राजन दुष्यंत द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण का खुलासा करने हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। प्रार्थी दिनेश कुमार कोठारी पुत्र प्रेमचन्द कोठारी निवासी बापूनगर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि 19 जुलाई शाम को अपने ऑफिस से कार्य कर वापस अपने निवास भीलवाड़ा, रोडवेज से आ रहा था, भीलवाड़ा पहुंचने पर मुझे मेरा फोन नहीं मिला, मेरा फोन जेब से चोरी हो गया। मैने तत्काल प्रभाव से उसी समय अन्य व्यक्ति के फोन से मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन लगाया तो फोन चालू था तथा किसी अनजान आदमी जवाब दिया कि फोन मेरे पास है, मेरे से कल ले लेना अगले दिन फोन लगाने पर भी वो फोन लोटाने की बात कहता रहा, लेकिन फोन लौटाया नहीं और दो दिन तक भी फोन नहीं लोटाने पर मुझे शंका हुई। फिर मैने मेरे नई सिम निकलवायी।

- **मोबाइल चुराकर बैंक खाते से जुड़ी सिम का दुरूपयोग किया था**

बैंक गया तो पता चला कि उक्त अज्ञात चोर द्वारा मेरे मोबाईल यू.पी.आई नेट बैंकिंग से करीब सात लाख रूपये धोखाधड़ी करके हड़प कर लिये। इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। प्रकरण में गठीत टीम द्वारा घटना के तुरन्त बाद आरोपी तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर मोबाइल चोरी होने के उपरान्त मोबाइल की लोकेशन द्वारा आरोपी का रूट चिन्हित कर रास्ते में पड़ने वाले सैकडों सीसीटीवी का विश्लेषण कर संदिग्धों को चिन्हित किया एवं तकनीकी विशलेषण कर आरोपी की पहचान कर मुखबिर सहायता से घटना के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में रामप्रसाद पुत्र सुरजाराम सांसी निवासी ग्राम गिरवास पुलिस थाना खैरथल जिला खैरथल को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है।

बैंक खाते से जुड़ी सिम का दुरुपयोग कर राशि निकलने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

बैंक भवन की छत और फॉल सीलिंग गिरी

बोरावड़, (निसं)। बोरावड़ के यूको बैंक भवन की छत और फॉल सीलिंग अचानक गिर गई। हालांकि बैंक में कोई जनहानि नहीं हुई है।

बैंक के प्रबंधक विशाल गुप्ता ने बताया कि घटना के संकेत मिलने पर उन्होंने कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे किसी को भी चोट नहीं आई। फॉल सीलिंग गिरने के कारण बैंक में लेन-देन का काम प्रभावित हुआ। प्रबंधक ने बताया कि जब वे अपने चेंबर में थे, उन्हें अचानक बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा और एक कोने से फॉल सीलिंग गिरने का पता चला। इस पर उन्होंने तुरंत सभी को बाहर निकालने का निर्देश दिया।

- **हादसे में बैंक में कोई जनहानि नहीं हुई**

सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने के बाद फॉल सीलिंग पूरी तरह से गिर गई। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक में कामकाज बंद कर दिया गया। किसी भी ग्राहक को बैंक से संबंधित कार्य में परेशानी न हो, इसलिए बिदियाद और मकराना शाखा से कर्मचारियों को बोरावड़ भेजकर सेवाओं को जारी रखा गया है।

बोरावड़ के यूको बैंक भवन की छत और फॉल सीलिंग अचानक गिर गई।

मदरसों में मूलभूत सुविधाएं जांची, बच्चों से संवाद कर शिक्षा का स्तर जाना

भीलवाड़ा, (निसं)। शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा जिला प्रभारी सचिव राजन विशाल ने एडीएम प्रशासन रतन कुमार के साथ गुरुवार को जिले के तीन मदरसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने मदरसा इस्लामिया उच्च प्राथमिक मदरसा, आरके कॉलोनी, मदरसा अंजुमन उच्च प्राथमिक विद्यालय, जामा मस्जिद गुलमंडी तथा मदरसा तुलबनात, जामिया फातिमा गुलमंडी के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का स्तर, शिक्षण के वक्त सहायता सामग्री का उपयोग, मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई सामग्री का समुचित उपयोग, स्मार्ट क्लास रूम, गृहकार्य एवं मिड-डे-मील गतिविधि, पेयजल की उपलब्धता सहित अन्य की जा रही शैक्षिणक गतिविधियों का गहनता के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने मदरसों में नामांकन की जानकारी ली।

- **शासन सचिव तथा जिला प्रभारी सचिव राजन विशाल ने मदरसों का औचक निरीक्षण किया**

इस दौरान राजन विशाल ने छात्र-छात्राओं से संवाद भी किया, उनकी पढ़ाई का स्तर जाना और शैक्षिणक गतिविधियों की जानकारी ली। छात्र-छात्राओं से सामान्य ज्ञान के सवाल भी पूछे। छात्राओं ने देशभक्ति कविताएं भी सुनाई। स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ रहे बच्चों की रुचि देख प्रभारी सचिव ने बोर्ड पर उनका नाम लिखवाया। बच्चों में स्मार्टबोर्ड पर लिखने के प्रति उत्साह दिखा। उर्दू में भी बच्चों ने नाम लिखे। बच्चों ने बोर्ड पर पहाड़े लिखे। इस दौरान मदरसों में पढ़ाई के स्तर से शासन सचिव ने संतुष्टि जाहिर की और उन्हें शाबासी भी दी।

शासन सचिव राजन विशाल ने मदरसा पैरा टीचर्स को स्मार्ट क्लास रूम में माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त क्लास रूम मॉड्यूल के उपयोग लेने के निर्देश दिए। स्मार्ट क्लास रूम में पेन ड्राइव के माध्यम से शिक्षा विभाग की ओर से तैयार शैक्षिणक कोर्स के अध्ययन के निर्देश दिए ताकि इंटरनेट की बाधा या संबंधित विषय अध्यापक की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यक्रम अधिकारी को इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। मदरसों में कार्य कर रही महिला से मानदेय के प्राप्त होने की जानकारी भी ली गई। स्वतंत्रता दिवस को मदरसों में हर्षोल्लास से मनाये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग से कार्यक्रम अधिकारी रवि कुमार रछोया, अभिषेक व्यास आदि कर्मचारी मौजूद रहे।

शासन सचिव राजन विशाल ने निर्माणाधीन राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भीलवाड़ा का भी निरीक्षण किया तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन के अधिकारियों को निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान दृष्टिगत पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिये।

क्रिकेट पर सट्टा लगाते चार लोग गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट की जिला पश्चिम की स्पेशल टीम और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक मकान पर देर रात दबिश दी। मकान में चार लोग क्रिकेट पर सट्टा लगाते पकड़े गए, बुकी को भी गिरफ्तार किया गया है।

थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि रात को डीएसटी टीम प्रभारी एसआई मनोज कुमार को मुखबिरी सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के 29 सेक्टर ई में एक मकान में क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा है। इस पर पुलिस की टीमों को गठन करते हुए वहां 20-ई में रेड दी गई। पुलिस ने वहां से 1 लेपटॉप,2 टैब,30 मोबाईल,सट्टे के हिसाब की 7 डायरी ,7 बेसिक लैंडलाइन फोन को जब्त किया है।

थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बुकी रामकिशोर लोहिया के साथ पुरुषोत्तम, शांतिलाल, आसुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में सीएचबी थाने के एएसआई अनिल कुमार,धनाराम, हैड कांस्टेबल प्रहलाद मीणा आदि शामिल रहे।

आरटीआई कार्यकर्ता को कार ने घर के बाहर टक्कर मारी

जोधपुर, (कासं)। गुरुवार दोपहर एक आरटीआई एक्टिविस्ट (कार्यकर्ता) को कार से उड़ाने का मामला सामने आया है। हमले में वह घायल हो गए हैं, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें एमजीएच हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार चल रहा है। इधर एक्टिविस्ट पर हुए हमले होने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है, जिसके फुटेज की जांच की जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार सरदारपुरा क्षेत्र में अशोक ज्वैलर के पास रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट नंदलाल व्यास गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे अपने घर के बाहर घूम रहे थे। इस दौरान स्पीड में आई एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राईवर कार को लेकर फरार हो गया। हादसे में नंदलाल के पैर पर चोट आई। उनका उपचार महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि नंदलाल व्यास आरटीआई के सक्रिय कार्यकर्ता है। उनके द्वारा कई जगह लगाई गई आरटीआई के कारण उनसे काफी लोग रंजिश भी रखते हैं।

मोहित शर्मा व दिव्या को अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार मिला

अलवर, (निसं)। हमेशा वन्य जीवो की रक्षा करने वाले भांकरी निवासी मोहित शर्मा एवं दिव्या का अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार-2022 के लिए चयन हुआ है। यह पुरस्कार राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर गाडोता मौजमाबाद दूद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, वनमंत्री संजय शर्मा द्वारा मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा को 50 हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र देकर अमृतादेवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया गया है।

मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा ने सर्वप्रथम 10 अक्टूबर 2019 को ग्राम भांकरी में श्याम जी के मन्दिर के सामने श्वानों के हमले से छुड़ाकर मोर की जान बचाई। उसी दिन से मोहित दिव्या दोनों भाई-बहन ने संकल्प लिया था कि वन्यजीव एवं पशु पक्षी हमारी प्रकृति की धरोहर है। इन्हें बचाना हमारा परम कर्तव्य है।

31 जनवरी 2020 को भांकरी में मोहित व दिव्या ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गोतस्करों से 8 गायों को मुक्त करवाया। कारोनाकाल में लोग अपने घर मे कैद थे परन्तु मोहित शर्मा एवं दिव्या घायल पशु- पक्षियों की रक्षा करने में जुटे हुए थे। पक्षियों के लिए दाने-पानी की व्यवस्था मे जुटे हुए थे।

इन दोनों भाई-बहन का जीवों के प्रति इतना लगाव हो गया कि इन्होंने नीलगाय, बन्दर, लंगूर, जरख, मोर, बाज, गीदड आदि वन्यजीवों की जान बचाई। 3 मई 2020 में बडनगर भांकरी में तेज आंधी एवं बरसात में घायल 8 राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं एक दर्जन परिन्दों की जान बचाई। 11 सितम्बर 2020 को पांचूडाला में सूखे कुएं में गिरे नील गाय के बच्चे को कुएं उतर कर रेस्क्यू करते हुए नील गाय के बच्चे की जान बचाकर उसकी मां नील गाय के पास छोड़ा।

माह सितम्बर 2020 पावटा क्षेत्र में श्वानों के हमले में घायल 82 नील गाय के बच्चों की जान, इसके अलावा अप्रेल 2023 में परीक्षा देकर लौट रही दिव्या शर्मा ने किराडोद में सड़क पर तड़प कर बेहोश लंगूर को पानी पिलाकर जान बचाई। मोहित शर्मा वर्ष अक्टूबर 2021 में डेंगू से पीड़ित होने के बाद भी नील गाय का उपचार करवाया। मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा ने अब तक 761 नीलगाय, 382 मोर, 40 बन्दर, दो जरख, एक बाज, एक गीदड आदि वन्य जीवों की जान बचा चुके हैं।

कलेक्टर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का औचक निरीक्षण किया

कंसल्टेंसी रूम बनाने का प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश

जिला कलेक्टर ने रा. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चपरासी कॉलोनी, गायत्री नगर का निरीक्षण किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला कलक्टर नमित मेहता ने गुरूवार को राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चपरासी कॉलोनी, गायत्री नगर में निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाएं सही पाई गई।

मेहता ने स्वास्थ्य केंद्र में दवा स्टोर, लैब, एएनएम कक्ष, ड्रेसिंग लैब, कोल्ड चैन, ओपीडी कक्ष आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी गोस्वामी साथ थे। सीएमएचओ ने चिकित्सालय में विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई व्यवस्था बेहतरीन थी। दवाओं का स्टोर तथा दवा वितरण की व्यवस्थाओं को सराहना मिली। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को स्वास्थ्य केंद्र में कंसल्टेंसी रूम बनाने का प्रस्ताव भिजवाने और नगर परिषद के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र के बाहर झाड़ियां हटवाने के लिए निर्देशित किया।

प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

अलवर, (निसं)। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती, बिजली की दरों में की गई वृद्धि, जिले की बिगड़ी सफाई व्यवस्था, पेयजल उपलब्ध करवाने में विफल रहने तथा प्रदेश में बेपटरी कानून व्यवस्था के कारण फैली अराजकता के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, असम व मध्यप्रदेश के प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह एवं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व मिनी सचिवालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् प्रदेश की आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल रही है। राज्य में भीषण गर्मी के बावजूद सरकार द्वारा बिजली की आपूर्ति बाधित रही है तथा गांवों एवं छोटे कस्बों में अघोषित रूप से 4 से 18 घण्टे तक की बिजली कटौती की जा रही है जिस कारण प्रदेशवासियों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने कहा कि प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में पेयजल संकट के बावजूद पानी की आपूर्ति करने में सरकार असफल रही है, जिस कारण अपनी प्यास बुझाने के लिए इन क्षेत्रों के निवासियों को दूरस्थ स्थान से पैदल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णतया चौपट हो गई है, राजधानी सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या, लूट, अपहरण, चैन स्नेचिंग जैसे गम्भीर अपराध प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं तथा आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने बिजली के बिलों में फिक्स्ड चार्ज की दर को बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का जनविरोधी निर्णय लिया है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। प्रदर्शन के अंत में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शन में पीसीसी महासचिव एवं अलवर के संगठन प्रभारी जसवंत गुर्जर, अलवर लोकसभा से सांसद प्रत्याशी व मुंडावर विधायक ललित यादव, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, थानागाजी विधायक कांति मीणा, राहुल पटेल, अनिल वशिष्ठ, दीपेन्द्र सैनी, बिजेंद्र सैन, ओमप्रकाश सैन, देवेंद्र कुमार शर्मा, वैभव नरूका, रामकिशन बैरवा, दशरथ सिंह शेखावत, सूरजमल कर्दम, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, रमन सैनी, जमशेद खान, एसआर यादव, रामहरि शर्मा, अशोक नंदा, योगेश शर्मा, संजय शुक्ला, खेमचंद महावर, कुलदीप माथुर आदि मौजूद रहे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह, प्रतिपक्ष नेता जूली और जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता धरने पर बैठे।

- **'भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल रही है'**

विनेश एक योद्धा हैं, मैट पर और मैट से बाहर भी। विनेश के माध्यम से हम सीख रहे हैं कि हार के बावजूद भी अपने अंदर की लड़ाई को कभी नहीं हारना क्या मायने रखता है। विनेश फोगाट एक योद्धा की सच्ची भावना को मूर्त रूप देती हैं। - **अभिनव बिन्द्रा**

पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, विनेश फोगाट की प्रशंसा की।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव

भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस साल आगामी बुची बाबू बहु-दिवसीय टूर्नामेंट में मुंबई के लिए एक मैच खेलने की पुष्टि की है। सूर्यकुमार 27 से 30 अगस्त तक कोयंबतूर में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन एकादश के खिलाफ मुंबई सीए एकादश के लिए खेले जाने वाले दूसरे मैच में खेलेंगे। टेस्ट विशेषज्ञ सरफराज खान को मुंबई की टीम का कप्तान बनाया गया है। सूर्यकुमार सभी प्रारूपों के क्रिकेट में खेलना चाहते हैं और भारतीय खिलाड़ी अभी ब्रेक पर होंगे क्योंकि उन्हें अगली दो टेस्ट मैच की श्रृंखला सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है।

क्या आप जानते हैं ?... टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य 1877 में मेलबोर्न में खेला गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता।

हॉकी में फिर से इतिहास दोहराया, भारत ने ओलिंपिक में लगातार दूसरा कांस्य जीता

स्पेन को 2-1 से हराकर भारतीय हॉकी टीम ने जीता चौथा कांस्य पदक

पेरिस, 8 अगस्त। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलिंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराते हुए गुरुवार को स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पेरिस ओलिंपिक में देश के लिए चौथा कांस्य पदक जीता। आज यहां यवेस-डु-मनोइर स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में पहला क्वार्टर में दोनों टीमों के आक्रामक प्रर्दाशन के बावजूद गोल रहित रहा। हालांकि इस दौरान भारत ने नौ बार आक्रामक तरीके से स्पेन के सर्कल में प्रवेश किया गोल करने में सफल नहीं हुये।

इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रामक शुरुआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले पेनल्टी स्ट्रोक का फायदा उठाते हुए मार्क मिरालेस ने गोलकीपर पीआर श्रीजेश को चकमा देते हुए 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़ त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने कर 1-1 से बराबरी कर ली। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ त दिला दी। इसकी के साथ ही टूर्नामेंट में हरमनप्रीत के गोलों की संख्या दस हो गई।

भारतीय कप्तान को दो मिनट बाद गोल करने का एक और मौका मिला, लेकिन वह स्पेनिश गोलकीपर को चकमा देने में विफल रहे। चौथे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और कई पेनल्टी कार्नर के मौके बनाये लेकिन वे इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी। मैच के दौरान भारतीय टीम ने स्पेन पर अधिकतर समय दबाव बनाये रखा। पेरिस 2024 ठाीष्मकालीन खेलों में यह भारत को चौथा कांस्य पदक है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलिंपिक पदक है। म्यूनिख ओलिंपिक 1972 के बाद यह पहली बार जब भारत ने लगातार दो ओलिंपिक पदक जीते हैं।

ओलिंपिक में मिली इस पदक जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने संन्यास ले लिया। उल्लेखनीय है कि हरमनप्रीत सिंह एंड कंपनी ने टोक्यो ओलिंपिक 2020 खेलों में भी कांस्य पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलिंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजिल्स 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हेलसिंकी 1952में स्वर्ण, मेलबर्न 1956 में स्वर्ण, रोम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मेक्सिको सिटी 1968 में कांस्य, म्यूनिक 1972में कांस्य, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कांस्य और पेरिस 2024 में कांस्य जीता है।

भारत की इस बेटी पर देश हमेशा गर्व करेगा

विनेश ने कुश्ती को कहा अलविदा

पेरिस, 8 अगस्त। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल मुकाबले के लिये अयोग्य ठहराये जाने के बाद गुरुवार को कुश्ती को अलविदा कह दिया। वहीं अमेरीकी पहलवान सारा एन हिल्डेब्रांट ने कुश्ती का खिताब जीत लिया।

हिन्डेब्रांट ने फाइनल मुकाबले में युसनेलिस गुजमान को 50 किग्रा वर्ग में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। उल्लेखनीय है कि विनेश को फाइनल मैच के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सेमीफाइनल मैच में विनेश से हारी युसनेलिस गुजमान लोपेज को फाइनल मुकाबले में जगह दी गयी थी। इससे पहले निराश विनेश ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा वह अब हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ रही हैं।

उन्होंने अपनी मां प्रेमलता को संबोधित करते हुए लिखा, माँ, कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई। आपके सपने और मेरी हिम्मत टूट गई है। मुझमें अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। अलविदा कुश्ती 2001-2024, मैं हमेशा आप सभी की ऋणी रहूँगी। माफी। गौरतलब है कि बुधवार को 50 किग्रा कुश्ती वर्ग के फाइनल मुकाबले के लिये विनेश फोगाट को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश पेरिस 2024 में मंगलवार को जापान की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी, यूक्रेन की पूर्व यूरोपीय चैंपियन ओक्साना लिवाच और क्यूबा की मौजूदा पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन युसनेलिस गुजमान को हराकर महिलाओं के 50 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में पहुंचीं थीं। हालांकि, ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मैच में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए तैयार विनेश का सपना टूट गया। अपने वजन को कम करने के लिए किए गए अथक प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन उनके भार वर्ग 50 किग्रा से थोड़ा अधिक पाया गया और उन्हें कुश्ती फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार कर दिया गया।

विनेश ने सीएएस से संयुक्त रजत पदक देने का किया अनुरोध

पेरिस, 8 अगस्त। भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में 50 किग्रा वर्ग के ओलंपिक फाइनल से खुद को अयोग्य ठहराए जाने पर उन्हें संयुक्त रजत पदक दिये जाने का अनुरोध किया है। विनेश फोगाट ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दो ओलंपिक रजत पदक दिए जाने का अनुरोध किया है। एक उन्हें और एक हारने वाले फाइनलिस्ट को। विनेश के अनुरोध पर आज को फैसला आने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किग्रा कुश्ती के फाइनल से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।

ज्योति बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंचने में असफल रही

पेरिस, 8 अगस्त। भारतीय धाविका विजेता ज्योति याराजी ने गुरुवार को स्टेड डी फ्रांस में महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस रेपेचेज राउंड में 13.17 सेकेंड का समय लेकर हीट 1 में चौथा स्थान पर रही। चौथे स्थान पर रहने के कारण वह पेरिस ओलंपिक में प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रही। प्रत्येक हीट से केवल शीर्ष दो एथलीट ही राउंड में जाते है। याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट थीं। उन्होंने राउंड-1 में 13.16 सेकेंड का समय के साथ आज की रेपेचेज स्पर्धा में जगह बनाई थी।

गोल्फ में दीक्षा 7 स्थान नीचे खिसक गई, अदिति टी-14 पर रही

पेरिस, 8 अगस्त। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में महिला गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गईं।

पदक से चूकी मीराबाई, चौथे स्थान पर रही

मीराबाई ने पेरिस में अपना जन्मदिन मनाया

नई दिल्ली, 8 अगस्त। तोक्यो ओलिंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू बुधवार को यहां पेरिस ओलंपिक के 49 किलोग्राम वर्ग में चौथे स्थान पर रहते हुए पदक से चूक गईं। मीराबाई ने स्नैच में 88 और क्लीन एवं जर्क में 111 से कुल 199 किग्रा का वजन उठाया। इससे वह महज एक किलोग्राम से पदक से चूक गईं। स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार चीन की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन होउ झिहुई ने क्लीन एवं जर्क में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया।

उन्होंने कुल 206 (स्नैच 89, क्लीन एवं जर्क 117) किग्रा वजन उठाया। रोमानिया की वालेंटिना कैम्बेई 206 (93 और 112) किग्रा से रजत और थाईलैंड की सुरोदचना खाम्बो 200 (88 और 112)किग्रा के वजन से कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं।

कूल्हे की चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहीं मीराबाई ने स्नैच में पहले प्रयास में आसानी से 85 किग्रा वजन उठाया और दूसरे प्रयास में 88 किग्रा उठाने में विफल रहीं। पर तीसरे प्रयास में उन्होंने 88 किग्रा का वजन उठाकर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के स्नैच के प्रदर्शन की बराबरी की।

मीराबाई चानू ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक गांव (पेरिस) में अपना 30वां जन्मदिन मनाया।

आरसीए की पूर्व कार्यकारिणी पर एफआईआर दर्ज

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में करोड़ों का घोटाला

वनडे मैचों में घोटाला, कैटरिंग का काम करने वाली फर्म को बिल्डिंग बनाने का काम दिया

जयपुर, 8 अगस्त। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी ने गुरुवार को एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहाणी ने बताया कि आरसीए की पूर्व कार्यकारिणी ने जमकर भ्रष्टाचार किया और जब एडहॉक कमेटी ने पूरे मामले की जांच की, तो करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमिताएं पाई गई। इसके बाद एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी पर ज्योति नगर थाने में पूर्व सचिव, पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व संयुक्त सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जयदीप बिहाणी ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछली कार्यकारिणी ने एसएमएस स्टेडियम के रिनोवेशन, राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजन और चौंप में बन रहे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम मे जमकर भ्रष्टाचार किया. जयदीप बिहाणी ने यह भी कहा कि कमेटी ने पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा करवाई और इसकी एक 363 पत्रों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई।

इस ऑडिट रिपोर्ट में काफी कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। इसमें स्टेडियम के निर्माण से लेकर आईपीएल मैच के दौरान टेंडर जैसे घोटाले भी शामिल हैं।

राजधानी

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हासिल करेंगे किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य : हीरालाल नागर

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मात्र 7 माह की अल्पावधि में कुसुम सी योजना में 4386 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के एलओआई जारी कर दिए हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को धरातल पर मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ऊर्जा उपक्रमों की मजबूत साझेदारी से राजस्थान जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अन्य राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नागर गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट-2024 में अक्षय ऊर्जा से सम्बंधित हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा गेल इंडिया के बीच 4200 करोड़ रु. के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। इस एमओयू के माध्यम से गेल इंडिया धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट व रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयत्रों को कुषल एवं उपयुक्त क्षमता पर संचालन के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से हस्तांतरित करने की संभावनाओं को तलाषने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर गैस की सुनिश्चित आपूर्ति करेगा। साथ ही, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो सकेंगी। इसके माध्यम से 4200 करोड़ रूपए का निवेष होगा। गेल इंडिया की तरफ से कंपनी के कार्यकारी निदेशक श्री सुमित किशोर एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री देवेंद्र श्रृंगी ने हस्ताक्षर किये।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट-2024 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा गेल इंडिया के बीच 4200 करोड़ रु. के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

- **धौलपुर व रामगढ़ प्लांट को उचित दर पर होगी गैस की पर्याप्त आपूर्ति, 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा : ऊर्जा मंत्री**
- **राजस्थान ने बंडलिंग के जरिए प्रस्तुत किया सस्ती बिजली का अनूठा उदाहरण : संदीप गुप्ता**

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश का पष्चिमी भू-भाग राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस समिट में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हितधारक अपने सुझावों व समस्याओं को साझा करेंगे। उनके उचित सुझावों एवं समस्याओं पर सरकार सहानभूति से विचार करेगी और आवश्यक होने पर नीतिगत बदलाव भी करेगी।

नागर ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में राजस्थान को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिल रहा है। सरकार बनने के दो माह बाद ही हमने एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सतलज जल विद्युत निगम तथा आरईसी जैसे देष के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 1 लाख 60 हजार करोड़ रूपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इससे आने वाले समय में 31 हजार 825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और प्रसारण तंत्र भी मजबूत होगा।

ऊर्जा मंत्री ने अपने हाल के दिल्ली दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर राजस्थान को केंद्र ने अपने अनावंटित कोटे से 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इसे मिलाकर वर्तमान में राजस्थान को इस विषम परिस्थिति में अनावंटित कोटे से एक हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है जिससे निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने में मदद मिली है। नागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में भी भरपूर सहयोग के लिए आष्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प के लिए पूरी इच्छाशक्ति के साथ मजबूत फैसले ले रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने स्टेक होल्डर्स के रूप में डवलपर्स, सोलर उपकरण निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों, ईपीसी कांट्रेक्टर, किसानों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्हें अक्षय ऊर्जा के विकास में भागीदार बनाया है। इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में आमजन को सहभागी बनाया जाये। उन्होंने आष्वस्त किया कि ऊर्जा विभाग इस एमओयू का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा और यह समिट एवं समझौता राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। गेल इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इन एमओयू के माध्यम से गैस प्लांट एवं अक्षय ऊर्जा की बंडलिंग कर सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का अनूठा उदाहरण पूरे देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इससे प्राप्त बिजली की दर तो कम होगी ही और पीक लोड डिमांड को भी पूरा किया जा सकेगा।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है और उनके नेतृत्व में राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ रहा है। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी ओम प्रकाश कसेरा ने कहा कि स्टेक होल्डर्स को एक ही मंच पर लाने की राज्य सरकार की अभिनव पहल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को नए आयाम प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल सहित सभी बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लगभग 900 हितधारक मौजूद थे।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया

कैबिनेट मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा कर ''हर घर तिरंगा अभियान'' का शुभारंभ किया। वार्ड 48 की पार्षद कुमकुम शक्तावत के वार्ड कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरूवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा कर ''हर घर तिरंगा अभियान'' का शुभारंभ किया। वार्ड 48 की पार्षद कुमकुम शक्तावत के वार्ड कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा।

भाजपा नेता शक्ति सिंह मानपुरा ने बताया कि झोटवाड़ा विधानसभा के लोगों ने कर्नल राठौड़ को साफा-माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पार्षद कुमकुम शक्तावत, अर्चना शर्मा, विकास बारेठ, महादेव बागड़ा व सत्येन्द्र सतनाली उपस्थित थे। शक्ति सिंह ने बताया कि कर्नल राठौड़ व पार्षदों ने घर-घर जाकर तिरंगा वितरित किया। अमरनगर, जनक विहार,पश्चिम विहार, ब्रजराज एनक्लेव, गली नंबर 5 से होते हुए पार्षद कार्यालय पर सभा का आयोजन किया गया। यहां मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने 1100 तिरंगे झंडे वितरित किए।

इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा व शांति का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में न जाने कितने ही देश भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हर घर तिरंगा अभियान उन सभी नायकों को याद करने, राष्ट्रप्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है।

अवैध खनन को नहीं रोकने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग की पहाड़ी तहसील में हो रहे अवैध खनन को नहीं रोकने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव, खान निदेशक, संभागीय आयुक्त, डीग कलेक्टर और एस.पी. सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार देर रात को निधन हो गया। गुरुवार को उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूम्बर पहुँचकर अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित की।

ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले में चार्जशीट पेश की

- **ई.डी. ने चार्जशीट में चारों आरोपियों, पदम चन्द जैन, संजय बडाया, महेश मित्तल व मुकेश पाठक के खिलाफ अवैध तरीके से अपनी फर्मों में 500 करोड़ रूपए जमा करने का आरोप लगाया है।**
- **ई.डी. का आरोप है कि आरोपियों ने बिल पास कराने और टैंडर हासिल करने और लोक सेवकों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में भारी रिश्वत दी थी।**

जयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर दर्ज मनी लॉण्डरिंग के मामले में चार आरोपियों पदम चंद जैन, महेश मित्तल, संजय बडाया और मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।

चार्जशीट में धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 24 अप्रैल को ई.डी. ने ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे पीयूष जैन के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। चार्जशीट में कहा गया कि ई.डी. ने ए.सी.बी. दर्ज एफ.आई.आर. के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जिसमें पाया गया कि पदम चंद जैन, महेश मित्तल और पीयूष जैन टेंडर हासिल करने, बिल मंजूर करवाने और लोक सेवकों से अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में रिश्वत देने में शामिल थे। आरोपी हरियाणा से चोरी का माल खरीदने में भी शामिल थे और टेंडर हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपपत्र में कहा गया है कि पदम चंद जैन और महेश मित्तल सहित आरोपियों से संबंधित फर्मों के बैंक खातों में लगभग 500 करोड़ रुपये जमा हुए थे। उन्हें जो भी पैसा मिला वह पी.एम.एल.ए. अधिनियम के तहत अपराध की आय है। आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी मुकेश पाठक इरकॉन में स्टेनोग्राफर था और उसने मेसर्स गणपति ट्यूबवेल और मेसर्स श्याम ट्यूबवेल के लिए फर्जी और मनगढ़ंत प्रमाण पत्र बनाए थे। यह दोनों फर्म महेश मित्तल और पदम जैन की हैं। आरोपी संजय बडाया निजी ठेकेदारों से टेंडर राशि का 2.5 से 3 प्रतिशत तक वसूल कर रहा था। यह राशि टेंडर लेने वाली फर्म को सुविधाएं देने के बदली ली गई थी। उसने आरोपी ठेकेदारों महेश मित्तल और पदम चंद जैन से लगभग 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।

सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन

राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की

- **बुधवार रात अचानक तबियत बिगड़ने पर अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उनका निधन हो गया।**
- **अमृतलाल मीणा की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।**
- **सलूम्बर से लगातार तीन बार विधायक रहे अमृतलाल मीणा 20 साल से राजनीति में थे और क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे।**

उदयपुर, 8 अगस्त (कासं)। सलूम्बर से लगातार तीन बार भाजपा के विधायक रहे अमृतलाल मीणा (65) का बुधवार देर रात उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी अनुसार बुधवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर विधायक अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल लाया गया और रात करीब दो बजे उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी पार्थिव देह उदयपुर से उनके पैतृक गांव लालपुरिया (सलूम्बर) लाई गई। यहां पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इससे पहले दोपहर करीब डेढ़ बजे उनकी पार्थिव देह को सलूम्बर के डाक बंगला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि दी। वे विधानसभा में भी जनता की बात मजूबती से उठाते रहे और सलूम्बर क्षेत्र में विधायक रहते हुए उन्होंने कई बड़े विकास कार्य भी करवाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के आकस्मिक निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने गुरुवार को सलूम्बर के लालपुरिया (सेमारी) पहुंचकर मीणा की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया एवं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि अमृतलाल के आकस्मिक निधन का समाचार स्तब्ध कर देने वाला है। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मीणा वर्ष 2013 से बतौर विधायक लगातार तीन बार से सलूम्बर की जनता की सेवा में जुटे हुए थे। समाजसेवा और जनता के हित में वे हमेशा तत्पर रहते थे। शर्मा ने कहा कि स्व. अमृतलाल ने अपने जीवन में समाज के वंचित वर्गों के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया और क्षेत्र के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। उनको एक जनप्रिय नेता के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, सहकारिता राज्यमंत्री गौतम दक, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुन्दा विधायक प्रताप गमेती, श्रीचंद कृपलानी, समाजसेवी दिनेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीणजन आदि उपस्थित रहे। मीणा के निधन के समाचार के पश्चात मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था।

जानकारी के अनुसार इस बार के बजट सत्र में भी उन्होंने विधानसभा में 98 लिखित सवाल लगाए उनमें से 10 सवालों का जवाब आ चुका है और 88 सवाल का जवाब आना बाकी था। जनहित के इन सभी सवालों का जवाब आता उससे पहले ही अमृतलाल मीणा जनता के बीच से विदा हो गए।

एमबी अस्पताल अधीक्षक आरएल सुमन के अनुसार विधायक अमृतलाल मीणा को बुधवार रात करीब सवा एक बजे एमबी अस्पताल लाया गया। उस समय विधायक मीणा की सांसे नहीं चल रही थी, धडकनें बंद हो चुकी थीं। इमरजेंसी में ही काफी प्रयास किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने करीब पौन घंटा काफी प्रयास किया। रात करीब दो बजे विधायक मीणा का निधन हो गया। सलूम्बर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1959 में जन्मे अमृतलाल मीणा करीब 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे। अमृतलाल ने साल 2004 में पंचायत समिति सराडा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी।

जिला न्यायालयों के जज सिर्फ 15 हजार मासिक पैंशन में गुजारा कैसे करें?

नयी दिल्ली, 8 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को दी जा रही अल्प पेंशन के मुद्दों पर विचार करे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 'ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे मामले से संबंधित न्यायमित्र के साथ विचार-विमर्श कर इस मुद्दे का हल निकालें।

पीठ ने शीर्ष विधि अधिकारियों अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर से कहा, हम जिला न्यायपालिका के संरक्षक होने के नाते आपसे ऐसा करने (हल) का आग्रह करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेंशन संबंधी शिकायतों को लेकर जिला न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी और सॉलिस्टर जनरल मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए पीठ से जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी पहलुओं से संबंधित मामले पर बहस करने के लिए कुछ समय देने की गुहार लगाई। पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में केवल 15,000 रुपये मिल रहे हैं। पीठ ने आगे कहा, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में आते हैं। आम तौर पर उन्हें 56 और 57 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया जाता है।

पैरिस ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुये जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मैडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर प्रतियोगिता में दूसरे पायदान पर रहे और भारत के लिए सिल्वर मैडल पक्का किया। नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन दिखाते हुये 89.45 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउण्ड में 89.34 मीटर दूर भाला फेंका था। नीरज इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके नाम ओलंपिक में दो मैंडल दर्ज हो गये हैं।

ई.डी. का अधिकारी 20 लाख रु. रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ

नई दिल्ली, 8 अगस्त। सी.बी.आई. ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) के एक सहायक निदेशक को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ईडी अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि ईडी अधिकारी को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है।

सी.बी.आई. के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने तीन और चार अगस्त को जौहरी के परिसरों पर छापेमारी की थी जिसके बाद सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने उन्हें 25 लाख रुपये न देने पर जौहरी के बेटे को गिरफ्तार करने की कथित तौर पर धमकी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के दौरान 20 लाख रुपये की रिश्वत देने पर बात तय हुई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सीबीआई को शिकायत मिली और उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया गया।

हैदराबाद में नॉन वैज की....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आबादी का बड़ा तबका नॉन वैज भोजन खाता है। समस्या स्विगी जैसी फूड डिलीवरी ऐप के साथ है जिसके डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ग्राहकों के नॉन वैज ऑर्डर पहुंचाने से इन्कार कर रहे हैं।

अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ीं तो यह बड़ी समस्या बन सकता है खासकर अपने लंच ऑर्डर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक कस्टमर ने बताया कि कुछ अन्य लोकल कूरियर के डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव और डिलीवरी एप्स भी नॉन वैज फूड के पैकेट ले जाने से इन्कार कर रहे हैं।

एक मध्यम वर्गीय महिला ने बताया कि वह शहर में काम करने वाले अपने बेटे को लंच भेज रही थी और स्विगी के डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ने मना कर दिया कि वह लंच बॉक्स नहीं ले जाएगा क्योंकि इसमें चिकन करी है। यहीं नहीं डिलीवरी पार्टनर ने पहले महिला से पूछा टिफिन में क्या है फिर उसने इन्कार कर दिया। पर उसने इतनी मदद अवश्य डिलीवरी की रिक्वैस्ट किसी अन्य को दे दी जिसे नॉन वैज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी।

सिकंदराबाद की एक अन्य महिला को भी ऐसा ही अनुभव हुआ जब एक स्विगी जिनी पार्टनर ने उसका फूड पैकेट ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसमें बिरयानी थी।

हैदराबाद में भी कुछ लोगों ने ऐसी शिकायते की हैं। आमतौर पर कूरियर करने वाले यह नहीं पूछते हैं कि पैकेट में क्या है पर अब वर्कर्स यूनियन ने भी अपने सदस्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे कस्टमर से पूछे कि पैकेट में क्या है ताकि उन्हें ऐसी कोई चीज न ले जानी पड़े जो वे नहीं चाहते हैं।

तेलंगाना गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन अपने सदस्यों को कह रही है कि पार्सल स्वीकार करने से पहले उसमें क्या है यह जानना जरुरी है।

ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी ने कहा कि यह जागरुकता जरुरी है ताकि ये लोग "ड्रग ट्रांसपोर्ट" में ना फंसे। पर ऐसे महीनों में जब हिंदू त्यौहार ज्यादा पड़ते हैं तब ये लोग नॉन वैज भोजन के पैकेट लेने से भी इन्कार कर रहे हैं।

एक डिलीवरी एग्ज़ीक्युटिव ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अधिकांश को नॉन वैज से कोई फर्क नहीं पड़ता हैं पर कुछ के साथ निजी समस्याएं हैं और वे इन्कार कर देते हैं।

सरकार अचानक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देना तथा वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना। वक़्फ़ बोर्ड में महिलाओं को लाने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार वक़्फ़ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तथा इसके साथ ही, क्या यह कुछ महत्वपूर्ण लोगों की मदद करने का प्रयास है।

मुकेश अंबानी का "एन्टीलिया" वक़्फ़ की जमीन पर ही है, तथा इसी प्रकार, क्या यह अंबानी, जो नरेन्द्र मोदी के अच्छे मित्र हैं, की मदद करने की कोशिश है।

राहुल गांधी ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिखा कि साथी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

हालांकि, राहुल गांधी ने मीटिंग का ब्यौरा नहीं दिया पर उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे तथा कई मसलों पर चर्चा हुई।

गोगोई ने पत्रकारों को बताया कि बांग्लादेश, चीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले व संसद में आज की कार्यवाही पर चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि राहुल ने सांसदों से जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की।

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा सदस्यों की मीटिंग हुई। गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक से कुछ दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी।

चंद्रबाबू नायडू के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सम्बन्धित संशोधन लाने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस नेता के.सी.वेणुगोपाल ने इस विधेयक को "संविधान पर आधारभूत हमला बताया, क्योंकि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। राज्य वक़्फ़ बोर्डों तथा केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद की संचालन समिति के सदस्यों के रूप में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रस्तावित संशोधन पर प्रतिक्रिया देते हुये, वेणुगोपाल ने पूछा: "जब राम मंदिर के निर्माण के लिये कमेटी गठित हुई थी, क्या उस समय गैर-हिन्दुओं को इसका सदस्य बनाया गया था?" उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुये लाया गया है। सुदीप बंदोपाध्याय (टी.एम.सी.) ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो आदेशित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता। द्रमुक सांसद कनिमोई ने कहा कि इस विधेयक के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं तथा यह उस स्वप्न को नष्ट कर देगा, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिये देखा था। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस विधेयक को अपने कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करने के लिये लाई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पार्टी को धक्का लग चुका है।

किन्तु, अल्पसंख्यक मामलात के मन्त्री अपनी इस बात पर जमे रहे कि यह विधेयक सामान्य मुस्लिमों को न्याय देने के लिये लाया गया है क्योंकि सरकार को वक़्फ़ सम्पत्तियों के दुरुपयोग के बारे में अनेकानेक शिकायतें मिली हैं।

'विपक्ष के कई नेता, जो अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई सांसदों ने मुझे निजी तौर पर बताया था कि वक़्फ़ बोर्ड माफ़ियाओं के कब्जे में हैं, लेकिन अब वे ही विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

रिजिजू ने दावा किया कि वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक गहन विचार-विमर्श के बाद लाया गया है।

विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि वक़्फ़ विधेयक के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के मसौदे में संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संशोधित विधेयक में सैन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड काउन्सिल और राज्य वक़्फ़ बोर्डों के विस्तृत संयोजन का प्रस्ताव है तथा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रकार के निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी हो। वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2013 में प्रावधान था कि उपधारा (1) से (8) के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले कम से कम दो सदस्य महिला होनी चाहिए।"

नए विधेयक में भी महिलाओं को सदस्य के रूप में अहमियत दी गई है, लेकिन आगे यह भी जोड़ा गया है कि "वक्फ हलाल औलाद" के निर्माण से तात्पर्य महिलाओं को विरासत के अधिकार से इनकार करना नहीं है।"

विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए 1 अलग बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

विधेयक के मसौदे में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व देना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना है कि "वक़्फ़ का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का अनुयायी है तथा इस प्रकार की सम्पत्ति का स्वामित्व उसके पास है।

विधेयक का एक उद्देश्य एक सैन्ट्रल पोर्टल तथा डेटाबेस के माध्यम से वक़्फ़ का रजिस्ट्रेशन करना है। किसी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ प्रॉपर्टी के रूप में रिकॉर्ड करने की पूर्व सभी संबंधित पक्षों को नामान्तरण के लिए राजस्व कानूनों के अनुसार उचित नोटिस देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

वर्ष 1995 का वक़्फ़ अधिनियम किसी "वाकिफ" द्वारा दी गई "ऑकफ़"(दान की गई एवं वक़्फ़ के रूप में अधिसूचित की गई सम्पत्ति) के नियमतिकरण को लेकर लाया गया था। वाकिफ़ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून के अन्तर्गत धार्मिक अथवा दान योग्य के रूप में प्राधिकृत किसी सम्पत्ति को समर्पित करता है।)

अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2013 में संशोधन किया गया था।

पैकेज्ड़ फूड पर वॉर्निंग लेबल्स नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा

याचिका में सभी तरह के पैकेज्ड़ फूड के फ्रंट पर शुगर और फैट की जानकारी लिखे जाने की मांग की गई है

- **याचिका में कहा गया है कि जून 2023 तक, भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे, जबकि 13.6 करोड़ प्रीडायबिटीज़ से पीड़ित हैं। देश में 31.5 करोड़ लोग हाई ब्ल प्रेशर से और 25.4 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। पैकेज्ड़ फूड इस तरह की बीमारियों को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं।**

नई दिल्ली, 8 अगस्त। देश में बढ़ते मधुमेह (डायबिटीज) की बीमारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और शीर्ष न्यायालय से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज वार्निंग लेबल्स को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। यानी सभी तरह के पैकेज्ड फूड के ऊपर शुगर और फैट की जानकारी देना अनिवार्य करने की गुहार लगाई गई है, ताकि लाखों लोगों को मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि कोर्ट एफ.ओ.पी.डब्ल्यू.एल. का कड़ाई से पालन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। ये याचिका "3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी" नामक संस्था ने एडवोकेट राजीव शंकर द्विवेदी के माध्यम से दाखिल की है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जनहित याचिका में सभी तरह के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के ऊपर डिटेल लेबल की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है और मांग की गई है कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को स्पष्ट रूप से उसके डब्बे पर इंगित किया जाय। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की सूचना उपभोक्ताओं को पैकेज्ड खाद्य पदार्थ चुनने में सशक्त बनाएंगे। इससे लोगों में मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों के प्रसार को कम करने में मदद मिल सकेगी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी जानकारी डिब्बे के ऊपर होने से मोटापे, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी जटिलताओं और बीमारियों से जूझ रहे लोग सचेत हो जाएंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

कालाडेरा में लोहा ढलाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। जयपुर से एफ.एस.एल की टीम ने भी फैक्टरी में घटना स्थल से सैम्पल लिए हैं।

विधायक डॉ. शिखा मील बराला, चौमूं उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा आदि ने चौमूं शहर के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे घायलों से मिलकर हर संभव इलाज का आश्वासन दिया।

जानकारी के अनुसार, घायलों में श्यामलाल पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, नानूराम पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, सुरेश कुमार पुत्र नारायण लाल निवासी हाथनोदा थाना सामोद, चौथूराम पुत्र हरदेव निवासी खोराबिसल थाना मुरलीपुरा जयपुर शहर, अशोक चौधरी पुत्र फूलचंद निवासी बिहार राज्य, बबलू यादव पुत्र जयप्रकाश निवासी बिहार राज्य, विनोद पुत्र सुवालाल निवासी धानोता थाना अमरसर, मदन पुत्र राजेन्द्र कुशवाह निवासी धौलपुर, नेमीचंद पुत्र रोशन लाल कुशवाह निवासी धौलपुर, प्रमोद कुमार पुत्र द्वारिका निवासी बिहार राज्य, निखिल कुमार निवासी बिहार राज्य, बहादुर पुत्र देवनारायण निवासी नेपाल, प्रकाश चन्द दुसाद पुत्र भगवान सहाय निवासी नांगल भरडा थाना सामोद, ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ कुशवाह निवासी बिहार राज्य, निलेश कुमार पुत्र कमलेश सिंह कुशवाह निवासी बिहार राज्य तथा अजय शंकर, प्रियंका, चुनचुन, गरबरन शामिल हैं, जिनमें से सात घायलों का जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारह घायलों का चौमूं के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जयपुर ग्रामीण एस.पी. शांतनु कुमार सिंह, चौमूं उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह, जयपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद सोमानी, गोविन्दगढ़ डी.वाई.एस.पी. राजेश कुमार जांगिड़, तहसीलदार डॉ. विजयपाल तथा कालाडेरा थाना प्रभारी सहित, कई प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। कहा जा रहा है कि कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश फैक्टरियों में सुरक्षा उपकरणों की कमी है। जानकारी के अनुसार कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से अधिकांश फैक्टरियों के पास तो फायर एन.ओ.सी. भी नहीं है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908